



Gi GROUP INDIA COMPLIANCE NEWSLETTER

July'23 EDITION



Dear Reader,

We are pleased to present to you the July 2023 edition of our monthly Compliance Newsletter. The newsletter will help you stay updated with the latest regulatory changes, notifications, and amendments.

In this edition of our monthly Compliance Newsletter, we bring to you the latest Minimum Wages revisions notifications from the states of West Bengal, Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island, and Maharashtra.

Further, we have also appended the notifications and amendments released in the month of July'23. Some of the important announcements made in this newsletter are, The rights of persons with disabilities (amendment) rules, 2023, The employees state insurance (central) amendment rules 2023, Declaration of the rate of interest under employee provident fund scheme, and more such important news.

Read further to know more!

Best Regards,
Gi Group India

MINIMUM WAGES REVISIONS

THE WEST BENGAL MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Goa vide Memo No. 28 /Stat/2RW/9/2022/LCS /JLC has revised Minimum Wages effective from 1st July 2023. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: West Bengal		
Effective Date: 01/07/2023		
Category: Shops & Commercial Establishment		
Class of Employment	Monthly Minimum Rate of Wages 01/07/2023 to 31/12/2023	
	Zone A	Zone B
Unskilled	9784	8930
Semi-Skilled	10763	9821
Skilled	11840	10804
Highly Skilled	13023	11886

THE HIMACHAL PRADESH MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Himachal Pradesh, vide Notification No. Shram(A)4-2/2018-P-II, revised the minimum wages effective from 1st April 2023. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Himachal Pradesh		
Category of Employment: Shops & Commercial Establishments		
Effective Date: 01/04/2023		
Category	Where no benefit provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Unskilled	11250	10429
Semi-Skilled	11891	10900
Skilled	13062	12006
Highly Skilled	13592	12580

THE ANDAMAN & NICOBAR MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Administrator of Andaman and Nicobar Island, vide Notification F.NO 16/1/MW/2019-20/LC&DET/667, declared the minimum rate of wages in the Union Territory of Andaman and Nicobar Island with effect from 1st July 2023. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Andaman & Nicobar Island		
Effective Date: 01/07/2023		
Category: Shops & Commercial Establishment		
Class of Employment	Monthly Minimum Rate of Wages effective 01/07/2023	
	Per Day	Per Month
Unskilled	538	13988
Semi-Skilled	595	15470
Skilled/Clerical	680	17680
Highly Skilled	738	19188

THE MAHARASHTRA MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Maharashtra, vide Notification No. 2023(2)/10 dated 01/08/2023, released the revised minimum rates of variable dearness allowance, effective from 1st July 2023, which will be valid till 31st December 2023. Please refer to the notification for more details Please refer to the notification for more details.

State: Maharashtra					
Effective Date: 01/07/2023					
Nature of Employment: Shops & Establishment					
Class of Employment	Zone	Basic Per Month	VDA Per Month	HRA Per Month (5% of Basic +VDA)	Total Per Month (Basic + VDA+ HRA)
Unskilled	I	10021	2678	635	13334
	II	9425	2678	605	12708
	III	8828	2678	575	12081
Semi-Skilled	I	10856	2678	677	14211
	II	10260	2678	647	13585
	III	9664	2678	617	12959
Skilled	I	11632	2678	716	15026
	II	11036	2678	686	14400
	III	10440	2678	656	13774

NOTIFICATIONS/ CIRCULARS/ AMENDMENTS



ESIC CIRCULAR ON CORRECTIONS IN DATE OF BIRTH OF INSURED PERSON

ESIC vide circular No. P-11014/3/2022-Bft-II, directed all regional offices to correct the particulars as provided by insured person. In this regard, online requests which are being received from Insured Persons relating to correction/updation in their particulars specifically Date of birth (varying three years or more) may be accepted as per details in their Aadhaar Card which carries specific date of birth. Please refer to the circular appended herewith for more details.

THE EMPLOYEES STATE INSURANCE (CENTRAL) AMENDMENT RULES, 2023

The Government of India vide notification no. G.S.R. 536(E), amended and incorporated the provision for claiming sickness and maternity benefits from 1st day of January, 2021 till the 30th day of June, 2021. As per the said notification, below proviso are inserted in Rule 55(1) and Rule 56(1):

Rule 55(1): Provided also that a person, appointed before the 1st April, 2020, shall be qualified to claim sickness benefit for the period 1st January, 2021 to the 30th June 2021, if the contributions in respect of such person were payable for not less than 39 days during the contribution period 1st April, 2020 to the 30th September, 2020, or for not less than 78 days during the contribution period 1st October, 2019 to the 31st March, 2020, and the daily rate of sickness benefit for that person shall be as provided in sub-rule (2) calculated on basis of standard benefit rate applicable during the contribution period 1st April, 2020 to the 30th September, 2020 or during the contribution period 1st October, 2019 to the 31st March, 2020, as the case may be.

Rule 56(1): Provided that an insured woman shall be eligible to claim maternity benefit for a confinement occurring or expected to occur during the benefit period 1st January, 2021 to the 30th June, 2021, if the contributions to such woman were payable for not less than 35 days in the immediately preceding two consecutive contribution periods, namely, the 1st October, 2019 to the 31st March, 2020 and the 1st April, 2020 to the 30th September, 2020.

Please refer to the notification appended herewith for more details.

DECLARATION OF RATE OF INTEREST UNDER EMPLOYEE PROVIDENT FUND SCHEME

EPFO vide notification No. INV-11/2/2022-INV-2766, declared the rate of interest at the rate of 8.15% for the year 2022-23 of EPF scheme. Please refer to the notification appended herewith for more details.

EXEMPTIONS UNDER THE KARNATAKA TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 1976

The Government of Karnataka vide notification No. FD 09 CPT 2023, exempted certain class of person from payment of tax under the Karnataka Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1976. Please refer to the notification appended herewith for more details.

THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (AMENDMENT) RULES, 2023

The Government of India vide notification no. G.S.R. 504E, included the standards for the culture sector specific to harmonized accessibility standards or guidelines under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. Please refer to the notification appended herewith for more details.

THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (AMENDMENT) RULES, 2023

The Government of India vide notification no. G.S.R. 517(E), included the guidelines on accessible sports complex and residential facilities for sports persons with disabilities under Rule 15(1)(e) of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Disclaimer: All information and content contained in this document are provided solely for general information and reference purposes. GI Group India makes no statement, representation, warranty or guarantee as to the accuracy, reliability or timeliness of the information and content contained in this document. Although every possible care and caution has been taken to avoid any mistakes or omissions while editing. Printing, producing online or publishing the judgments, Head Notes, Editorials, Articles, Forms & Precedents, the subscriber or reader should verify the correctness respectively from the full text as in the certified copy of Judgements or Gazettes concerned. Neither GI Group India nor any of its related company accepts any responsibility or liability for any direct or indirect loss or damage (whether in tort, contract or otherwise) which may be suffered or occasioned by any person howsoever arising due to any inaccuracy, omission, misrepresentation or error which may inadvertently crept on despite care and caution in respect of any information and content provided by this document.

Contact Information:

Name- Sushil Shah, Legal and Compliance

Email- marcom.india@gigroup.com, Website: www.gigroup.co.in

Address- World Trade Tower, Tower-B, Unit 503, 5th Floor, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh – 201301



GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE LABOUR COMMISSIONER
STATISTICS SECTION, 6th CHURCH LANE, 3RD FLOOR, KOLKATA- 700 001

Memo No. 28 /Stat/2RW/9/2022/LCS /JLC

Date: 28/07/2023

CIRCULAR

- (1) The minimum rates of wages for the employees employed in the following 30 (thirty) Scheduled Employments in the state of West Bengal shall be effective in the period from **1st July 2023 to 31st December 2023**.

The minimum rates of wages have been updated with reference to the Fixation / Revision notifications as mentioned against each scheduled employment.

Sl. No	Scheduled Employments	Referral Fixation / Revision Notification Nos.& date	Categories of Employees	Minimum Rates of Wages			
				Zone A		Zone B	
				Per Month	Per day	Per Month	Per day
1	AUTOMOBILE ENGINEERING REPAIRING WORKSHOPS & GARAGES	Labr/640(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Helper, Washman, Attendant, Peon, Cleaner, Sweeper, Security Man	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Electrical Semi-Technician, Tele-caller, Receptionist	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Painter, Body Maker, Mechanic, Sales Executive, Electrician, Driver, Accessories Fitter, Technician, Assistant Administrator, Assistant Accountant, Billing Clerk	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Administrator, Accountant and Customer Care Executive.	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457
2	BEVERAGE MANUFACTURING & VENDING ESTABLISHMENTS	Labr/641(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Store Keeper, Peon, Cleaner, Security Guard, Sweeper	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Light Inspector.	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Operator.	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
3	BISCUIT MANUFACTURING	Labr/642(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Peon, Cleaner, Sweeper, Security Guard, helper	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Assistant Mechanic, Market Seller	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Baker, Mechanic, Minder, Mixing Man, Electrician	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Checker, Production Manager	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457

4	BOTTLING AND PACKAGING INDUSTRY	Labr/643(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Helper, General Worker, Night Guard, Peon, Security Guard, Sweeper.	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Assistant operator.	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Operator, Assistant Manager.	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Chemist, Microbiologist and Production Manager.	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457
5	CLINICAL ESTABLISHMENTS INCLUDING PATHOLOGICAL LABORATORIES AND DIAGNOSTIC CENTRES	Labr/645(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Helper, Cleaner, Ward Boy, Ward Assistant, Ayah, Attendant Durwan, Peon, Security Guard, Housekeeping Assistant, Office Bearer, Canteen Boy, Sweeper	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Lab Assistant, Blood Collector, Male Nursing Attendant, Male Medical Attendant, Trained Ayah, Receptionist, Assistant Cook, Typist	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Nurse, O.T. Assistant, Technician, X-Ray Technician, C.T. Scan Technician, MRI Technician, Laboratory Technician, Dental Technician, Medical Record Keeper, Supervisor, Clerk, Cashier, Accountant, Cook	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Senior Nurse, Pathologist, Matron, Dietician, Biochemist, Radiologist	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457
6	CONFECTIONERY AND SWEETS MANUFACTURING	Labr/646(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Helper, Cleaner, Service Man, Peon, Security Guard, Sweeper.	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Assistant Mistry, Assistant Karigar, Assistant Cook, Assistant Haluikar.	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Sweet-maker, Mistry, Karigar, Cook, Haluikar, Clerk, Cashier.	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Manager.	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457

7	CONSUMER CO-OPERATIVE SOCIETIES, PRIMARY AGRICULTURAL CO-OPERATIVE SOCIETIES / MARKETING SOCIETIES	Labr/647(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Peon, Cleaner, Sweeper, Security Guard, Bearer, Durwan.	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Duftry.	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Clerk, Typist, Accountant, Computer Operator, Office Assistant.	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Manager, Senior Accountant, Supervisor.	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457
8	COURIER SERVICE	Labr/648(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Peon, Cleaner, Sweeper, Security Man, Loader	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Assistant operator, Assistant Customer Care Staff, Assistant System Delivery Man.	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Clerk, Computer Operator, Accountant, Office Assistant, Field Representative, Executive-Business Development, Executive-Operation, Executive-Customer Care, Supervisor, Driver.	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Senior Executive, Senior Supervisor.	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457
9	EMPLOYMENT IN ENGINEERING UNITS EMPLOYING LESS THAN 50 PERSONS	Labr/626/LC-MW Dated. 20.12.2019	Unskilled	Rs. 9781	Rs.376	Rs. 8928	Rs. 343
10	ESTABLISHMENTS AS DEFINED UNDER THE SHOPS & ESTABLISHMENTS ACT, 1963	Labr/650(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Peon, Cleaner, Sweeper, Security Guard, Bearer, Messenger	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Duftry, Assistant Accountant	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Clerk, Typist, Office Assistant, Office Maintenance and Inventory Management Staff, Data Entry Operator, Accountant	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Head Assistant, Senior Accountant, Computer Operator, Research And Development Staff/Executive, Market Research Staff/Executive, Godown-in-Charge, Office Supervisor, Sales Representative/Sales Promotion Employees	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457
11	FLOOR AND WALL TILES MANUFACTURING	Labr/653(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Loading and Unloading Worker, Helper, Peon, Cleaner, Sweeper, Security Man.	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Assistant of Tile Maker.	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Tile Maker.	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Chemist, Designer	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457

12	GARMENTS MANUFACTURING INDUSTRY	Labr/654(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Helper, Cleaner, Sweeper, Durwan, Security Guard, General Worker.	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Machine Operator, Computer Operator.	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Lock-Stitch Operator.	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Checker, Supervisor	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457
13	GLASS INDUSTRY	Labr/627/LC-MW Dated. 20/12/2019	Unskilled: Annealing Chamber (Coolies), Furnace Coolies, Carrier (Jaliwala) Coolies, General Coolies, Packer, Mason Helper, Batch Coolies (Batch Room Workers), Sweeper, Canteen Boys, Sacha Mazdoor, Chimney Grinder, Lorry Mazdoor	Rs. 9781	Rs.376	Rs. 8928	Rs. 343
			Semi-skilled: Bubbler, Bubbler Holder, Lineman, Airman, Fireman, Helpers, Molders, Blacksmith, Grinder, Polisher, Cook, Sorter, Rulsawala (Neck Maker)	Rs. 10759	Rs. 414	Rs. 9820	Rs. 378
			Skilled: Lorry Driver, Fireman Flower (Ord), Helper to Blower, Machine man (Cutter), Machine man (Helper), Cutting off fine Polishing, Machine Operator, Fitter Mechanic, Electrician, Turner, Lather man, Welder	Rs. 11836	Rs. 455	Rs.10802	Rs. 415
			Highly Skilled: Blower, Foreman, Shift-In-Charge	Rs. 13019	Rs. 501	Rs.11884	Rs. 457
14	HOTELS AND RESTAURANTS INCLUDING BOARDING HOUSES, EATING HOUSES, CANTEENS, CLUBS AND GUEST HOUSES	Labr/655(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Waiter, Washman, Peon, Utility Worker, Helper, Cleaner, Sweeper, Canteen Boy.	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Helper of Technician Service, Waiter Grade-I, Steward, Assistant Supervisor	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Cook, Chief Cashier, Accountant, Bar Tender, Assistant Manager	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Manager, Chief Executive	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457
15	ICE CREAM AND CANDY MANUFACTURING	Labr/656(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
16	ICE FACTORY	Labr/657(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled: Helper, Cleaner, Sweeper, Security Guard	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Cup-filling Worker, Candy Pouching Worker	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Operator, Machine Operator	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
17	INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY	Labr/658(Law)/MW/2W/32/13 dated 29.12.2016	Unskilled	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343

18	JEWELLERY MANUFACTURING INDUSTRY	Labr/659/ (Law)-MW/2W-32/13 Dated 29.12.2016	Unskilled	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
19	LAUNDRIES, LAUNDRY SERVICES, CLEANING & DYEING PLANTS & SHOPS	Labr/660/ (Law)MW/2W-32/13 Dated 29.12.2016	Unskilled	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
20	LEATHER GOODS MANUFACTORY	Labr/661/ (Law)-MW/2W-32/13 Dated 29.12.2016	Unskilled: Peon, Cleaner, Sweeper, Security man, Checking Man, Packing Man, Production Worker	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Helper of Karigar, Stitcher, Switcher, Laturer	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Karigar, Flooring Lineman, Store-in-Charge	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Designer, Lead Karigar	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457
21	LOADING AND UNLOADING OPERATIONS	Labr/662/ (Law)MW/2W-32/13 Dated 29.12.2016	Unskilled	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
22	MALLS, MULTIPLEXES, DEPARTMENTAL STORES AND MEGA STORES	Labr/663/ (Law)-MW/2W-32/13 Dated 29.12.2016	Unskilled: Peon, Cleaner, Sweeper, Security Guard, House Keeping Staff, Washer Man	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Counter Sales Personnel, Assistant Store Keeper, Launder, Junior/ Assistant Clerk	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Engineering Assistant/Supervisor, Clerk, Office Assistant, Accountant, Cashier	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Office Supervisor / Administrator, Senior Clerk, Checker, Production Manager	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457
23	MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS	Labr/628/LC-MW Dated. 20/12/2019	Unskilled	Rs. 9781	Rs.376	Rs. 8928	Rs. 343
			Semi Skilled / Durwan	Rs. 10759	Rs. 414	Rs. 9820	Rs. 378
			Skilled / Clerk	Rs. 11836	Rs. 455	Rs.10802	Rs. 415
24	NON-BANKING PRIVATE FINANCIAL INSTITUTIONS	Labr/652/ (Law)-MW/2W-32/13 Dated 29.12.2016	Unskilled: Office Boy, Peon, Cleaner, Sweeper, Security Guard.	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Duftry.	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Clerk, Executive OIC, Junior Executive, Accountant, Computer Operator.	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Manager, Senior Executive	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457

25	PRIVATE HOSPITALS & RESEARCH CENTRES NOT CARRIED ON BY GOVT. OR LOCAL AUTHORITIES	Labr/664/ (Law)-MW/2W-32/13 Dated 29.12.2016	Unskilled: Helper, Cleaner, Ward Boy, Ward Assistant, Ayah, Attendant, Durwan, Peon, Security Guard, House Keeping Assistant, Office Bearer, Canteen Boy, Sweeper	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Lab Assistant, Blood Collector, Male Nursing Attendant, Male Medical Assistant, Trained Ayah, Receptionist, Assistant Cook, Typist, Plumber, MGPS	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Nurse, O.T. Assistant, Technician, X-Ray Technician, C.T. Scan Technician, MRI Technician, Laboratory Technician, Dental Technician, Medical Record Keeper, Supervisor, Clerk, Cashier, Accountant, Cook, Pharmacist	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Senior Nurse, Pathologist, Matron, Dietician, Biochemist, Radiologist, Administrative Executive, Sales and Marketing Executive	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457
26	REFRACTORY INDUSTRY	Labr/629/LC-MW Dated. 20/12/2019	Unskilled: General Mazdoor/Coolie/Kamin, Loader, Unloader, Porter, Assistant Gardener, Tarman, Stegman, Canteen Boy, Car cleaner, Peon, Durwan, Security Guard	Rs. 9781	Rs.376	Rs. 8928	Rs. 343
			Semi-skilled: Crusher Mazdoor, Line Mazdoor, Grinder, Trolley man, Stamper, Checker, Setter, Semi-skilled Mason, Boiler man, Carpenter, Mixing Attendant, Pump Khalashi	Rs. 10759	Rs. 414	Rs. 9820	Rs. 378
			Skilled: Turner, Fitter, Electrician, Moulder, Fireman, Lathe man, Pipe-plant Polisher, Kiln Setter, Tindal Press Operator, Mixing man-cum-Operator, Welder, Gas Cutter, Blacksmith, Pattern Maker, Mill Attendant, Poker man, Junior Clerk, Typist, Compounder, Nurse, Driver, Stock Keeper, Laboratory Assistant	Rs. 11836	Rs. 455	Rs.10802	Rs. 415
			Highly Skilled: Head Mason, Head Carpenter, Head Fitter, Tindal, Shift Moulder, Head Welder, Head Turner, Moulder Supervisor, Mechanical Fitter, Senior Clerk, Head Clerk, Accountant, Supervisor, Security Officer, Foreman, Chemist	Rs. 13019	Rs. 501	Rs.11884	Rs. 457

27	ROLLING OF IRON RODS, PLATES, ANGLES ETC. & ROLLING MILLS	Labr/665 / (Law)-MW/2W-32/13 Dated 29.12.2016	Unskilled	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
28	SALOONS AND BEAUTY PARLOUR	Labr/666/ (Law)-MW/2W-32/13 Dated 29.12.2016	Unskilled: Helper, Cleaner, Sweeper, Assistant, House-keeping Staff, Security Guard	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Front Office Employee.	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Hair Cutter, Hair Stylist, Skin Specialist, Therapist, Beautician.	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Hair Dresser, Spa Specialist, Dietician	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457
29	SECURITY SERVICES	Labr/630/LC-MW Dated 20/12/2019	Unskilled: Security Guard, Watchman, Durwan	Rs. 9781	Rs.376	Rs. 8928	Rs. 343
			Semi-skilled: Ex-Service man Security Guard, Unskilled Supervisor	Rs. 10759	Rs. 414	Rs. 9820	Rs. 378
			Skilled: Field Supervisor, Ex-Service man Field Supervisor, Marketing Personnel, Guard with Fire Arms, Gunman, Marketing Personnel, Clerk, Accountant, Cashier	Rs. 11836	Rs. 455	Rs.10802	Rs. 415
30	WOOD WORKS AND FURNITURE INDUSTRY	Labr/668/ (Law)-MW/2W-32/13 Dated 29.12.2016	Unskilled: Peon, Cleaner, Sweeper, Bearer, Van Puller.	Rs. 9784	Rs. 376	Rs. 8930	Rs. 343
			Semi-skilled: Assistant Carpenter, Assistant Fitter, Assistant Mistry.	Rs. 10763	Rs. 414	Rs. 9821	Rs. 378
			Skilled: Carpenter, Fitting Mistry, Varnishing and Polishing Mistry.	Rs. 11840	Rs.455	Rs.10804	Rs. 416
			Highly Skilled: Designer	Rs. 13023	Rs. 501	Rs.11886	Rs. 457

(2) **Implementing Areas:**

Zone A: Areas under Municipal Corporations, Municipalities, Notified Areas, Development Authorities, Thermal Power Plant areas including Township Areas.

Zone B: Rest of West Bengal.

- (3) To arrive at daily rate, monthly rate shall have to be divided by 26 (to be rounded off to the nearest rupee) and to arrive at weekly rate, daily rate shall have to be multiplied by 6;
- (4) A normal working day shall consist of eight hours of actual work and not less than half hour of recess, subject to 48 hours of actual work in a week;

- (5) One day in any period of seven days as may suit the local convenience shall be the day of weekly rest. The minimum rates of wages include the wages for weekly day of rest. Payment for the work done on the day of weekly rest and for work done beyond the normal working hours shall be double the ordinary rates of wages;
- (6) Where the existing rates of wages of any employee based on contractor or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be protected;
- (7) The minimum rates of wages are applicable to the employees employed by contractors also;
- (8) The minimum rates of wages for disabled persons shall be same as payable to the workers of appropriate category;
- (9) The men and women employees shall get the same rates of wages for the same work or work of similar nature;
- (10) The minimum rates of wages and variable dearness allowance, if any, both together shall constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).

This is issued with due approval of the Labour Commissioner, West Bengal.

P. Chakraborty
29/7/23

(P S Chakraborty)
Additional Labour Commissioner,
West Bengal

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

1. AGRICULTURE

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of “**Agriculture**” may be revised with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned scheduled employment @ Rs. 375 per day or Rs. 11,250 per month w.e.f. **01-04-2023**.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled worker will be as under:--

- (i) **Unskilled:** An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent

judgement or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING.

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f. **01-04-2023** as under:-

Category of Workers

Revised Wages

Daily Monthly

1

2

3

UNSKILLED WORKERS :

Rupees

Rupees

Bhisthi/Chimny Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/Pipelinemen/Electrical Coolie/Security Guard/Beldar /Cleaner-Tractor, Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Mess helpers/ Boy Helper having experience of (0 to 5 years)/ Khalasi

375

11,250

having experience of (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker.

SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith/Boatman/ Caneman/ Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ Battery Charger/ Dresser/Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper having experience of (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi having experience of (3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant	398	11,950

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½ inch to 2 inch = Rs. 2223 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 2480 per 100 cft.

SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Asstt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chageman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill	435	13062

Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/ Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi having experience of (8 years and above) /Tracer Operator/ E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Foreman Grade-II.

HIGHLY SKILLED	Rupees	Rupees
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/Chargeman Grade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified)/Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.	518	15530

Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)/ Clerk/ Mechanical Inspector / Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.	435	13062

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects in Tribal Areas, an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as under:-

- (i) Unskilled:** An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled:** A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled:** A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled:** A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.

7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

11. Asstt. Volcanisor
12. Asst. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt. Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
19. Assistant Molders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holders who are working in the same trade. **Rs. 425 per day or Rs. 12749 per month.**

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor **Rs. 471 per day or Rs. 14139 per month.**

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant. **Rs. 425 per day or Rs. 12749 per month.**

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector. **Rs. 447 per day or Rs. 13403 per month.**

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier. **Rs. 527 per day**
Rs. 15807 per month.

RUNNING STAFF	per day	per month
1.Driver	Rs. 476	Rs. 14288
2.Conductor	Rs. 435	Rs. 13038
3.Cleaner-cum-Conductor	Rs. 407	Rs. 12200
4.Part-Time Booking Clerk	Rs. 261	Rs. 7834

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as under:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made/taken by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Shops & commercial Establishments**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f. **01-04-2023 as under:-**

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Palledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.	Rs.375 Daily	Rs 348 Daily
	Rs.11250 Monthly.	Rs. 10429 Monthly
Semi-Skilled	Rupees	Rupees
Head porter/ Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/	Rs.396 Daily.	Rs. 363 Daily

Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman **Rs. 11891 Monthly.** **Rs. 10900 Monthly**
 / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector
 /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/
 Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/
 Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/
 Assistant Turner/ Assistant Welder/ Assistant
 Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barbar/
 Dhobi/ Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter/
 Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/ White
 Washer/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric/
 Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant
 Machine man/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent/
 ITI Certificate Holder.

Skilled:	Rupees.	Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/Assistant Tailor/Cutter (Tailoring) /General mechanic/ Halwai/ Cook/ Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/ Draughtsman/Telephone Operator/ Compounder / Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/ Compositor/Cinema Operator/ Salesmen/Drycleaner/ Dyer/ Barber/Regular machine man/ machinist/ Welder/ Moulder/ Cashier/Clerk(Matric) Munim/ receptionist/ Waiter/ Bearer / Storekeeper/ headwaiter /Head bearer (Western Style Hotels)/Lineman/ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rs.435 Daily.	Rs. 400 Daily
	Rs.13062 Monthly.	Rs. 12006 Monthly.

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates)/ Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/	Rs.453 Daily.	Rs. 419 daily
	Rs.13592 Monthly	Rs. 12580 Monthly

Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring)

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as under:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made/taken by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

**No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-**

07-07-2023

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

5. FORESTRY INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “Forestry Industries” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04.2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UNSKILLED WORKERS		
1 Felling of trees:	Rs. 375	Rs. 11250
1.Lopper (Changi)	Rs. 396	Rs. 11891
2.Feller (Garani)	Rs. 383	Rs. 11505
2 Logging and sawing including timber passing:		
1.Dresser (Panchani)	Rs. 383	Rs. 11505
2.Sawyer (Charani)	Rs. 471	Rs. 14139
3.Blacksmith	Rs. 443	Rs. 13276

3 Carriage, stacking and timber passing by manual labour:

1. Mazdoor for carriage	Rs. 383	Rs. 11505
2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs. 383	Rs. 11505

4 Carriage of timber by Aerial ropeways :

1.Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.471	Rs.14139
2.Span Mistry	Rs. 443	Rs. 13276

5 Carriage by water slide (pucci Nalli), dry slide (Pathru), Nullah Bhaan and Darya Bahaan (River floting):

1. Mohri-wala Mistry	Rs. 505	Rs. 15148
2. Taru	Rs. 485	Rs.14539
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs. 453	Rs. 13592
4. Darya-man	Rs. 485	Rs. 14539
5. Ghalu	Rs. 412	Rs. 12366
6. Jamadar	Rs. 412	Rs. 12366

6 Mechanised logging and timber extraction:

1.Surveyor	Rs. 474	Rs. 14224
2.Ski-line Operator	Rs. 443	Rs. 13276
3 Truck Driver	Rs. 415	Rs. 12453
4. Compressor Driver	Rs. 415	Rs. 12453

7 Clerical Staff:

1.Manager	Rs. 546	Rs. 16374
2.Accountant	Rs. 421	Rs. 12644
3.Munshi/ Typist clerk	Rs. 383	Rs. 11505

8. Saw Mill Workers:

1. Band Saw Mistry	Rs. 443	Rs. 13276
2. Supervisor	Rs. 438	Rs. 13149
3. Head Mistry	Rs. 443	Rs. 13276
4. Boiler Driver	Rs. 443	Rs. 13276
5. Assistant Mistry	Rs. 389	Rs. 11670
6. Planner Mistry	Rs. 389	Rs. 11670
7. Helper	Rs. 383	Rs. 11505
8. Cutter man	Rs. 383	Rs. 11505

9 Katha Extraction:

1. Feller and Chipper	Rs. 383	Rs. 11505
2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs. 383	Rs. 11481

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= **Rs. 518 Daily. Rs. 15525 Monthly.**

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled worker.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

**No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-**

07-07-2023

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Chemical & Chemical Products**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 375 Daily. Rs. 11250 Monthly.
Semi Skilled	
Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Coprman, Re-irrigation, Assistant , Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller, Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.	Rs. 387 Daily. Rs. 11601 Monthly.
Skilled	
Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman,	Rs. 435 Daily.

Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, **Rs. 13062 Monthly.**
Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant
Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman,
Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are
working in the same trade.

Highly Skilled

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman

Rs. 518 Daily.

Rs. 15530 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

7. ENGINEERING INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Engineering Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Un-Skilled

Rs. 375 Daily or

Rs. 11250 Monthly.

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, **Rs. 387 Daily or**

Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar **Rs.11601 Monthly.**

Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III,

Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III,

Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III,

Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame

Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III,

Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III,

Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Rs. 435 Daily.

Rs.13062 Monthly

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughterman Grade-I, Miller Grade-I. Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

Rs. 518 Daily.

Rs.15530 Monthly.

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 402 Daily.

Rs.12074 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled workers will be as under:-

(i)Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

8. TEA PLANTATION

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Tea Plantation**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages
Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;	Rs. 375 Daily or Rs. 11250 Monthly.

A-Grade Leaves -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 27 per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 21 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves- If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 16 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 27, Rs. 21 Rs. 16 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. **Rs. 381** per day, **Rs. 11441** per month

FACTORY:

Include lift Mazdoor, withering Mazdoor, **Rs. 375 daily**
 relling room workers, shifting Mazdoor, **Rs. 11250 Monthly.**
 Fermenting room workers, tea boys,
 sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, **Rs. 375 daily**
 Muharirs etc. who maintain records of a field work **Rs. 11250 Monthly.**
 and also includes sweeper, Mali & Mate.

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

1. Accountant	Rs. 573	Rs. 17197 per month plus free accommodation	
2. Clerks	Rs. 435	Rs. 13062 per month plus free accommodation	
3. Munshi	Rs. 456	Rs. 13690 per month plus free benefits as admissible to clerk	
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs. 381	Rs. 11441 per month plus free benefit as admissible.	
		Daily	Monthly
5. Compounder		Rs. 531	Rs. 15930
6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)		Rs. 476	Rs. 14288
7. Mechanic		Rs. 535	Rs. 16059

8. Assistant Mechanic	Rs. 474	Rs. 14224
9. Electrician-cum- Mechanic Grade-I	Rs. 535	Rs. 16059
10. Electrician-cum- Mechanic Grade-II	Rs. 474	Rs. 14224

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled worker will be as under:-

(i)Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

(Akshay Sood)
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

**No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-**

07-07-2023

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P

5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

**9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED
IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948**

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 375 per day or Rs. 11250 per month
Semi-skilled	Rs. 386 per day or Rs. 11601 per month
Skilled & clerical staff	Rs. 435 per day or Rs. 13062 per month
Highly-Skilled	Rs. 518 per day. or Rs. 15530 per month

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

10. HOTEL AND RESTAURANTS

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Hotel and Restaurants**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.	Rs. 375 Daily	Rs. 348 Daily
	Rs. 11250 Monthly	Rs. 10429 Monthly
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees

Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman / Assistant Baker/Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric)/ Assistant Store Keeper/Distributor and Assistant Machinman/ Enquiry Attendant/ Telephone Attendant/ ITI certificate holder who are working in the other trade.	Rs. 396 Daily	Rs 364
	Rs. 11890 Monthly	Rs. 10932 Monthly.

SKILLED WORKERS :

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/St eward/Butler/Draughtsman/TelephoneOpera tor/Receptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/Head Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel.) ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rupees.	Rupees.
	Rs. 435 Daily	Rs. 400 Daily
	Rs. 13062 Monthly.	Rs. 12006 Monthly.

Highly Skilled

Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rupees.	Rupees.
	Rs. 453Daily	Rs. 419
	Rs. 13592 Monthly.	Rs. 12580 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

**No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-**

07-07-2023

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.

6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Private Educational Institutes**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023** ;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 375 per day or Rs. 11250 per month
Semi-skilled	Rs. 396 per day or Rs. 11891 per month
Skilled	Rs. 435 per day or Rs. 13062 per month
Highly skilled	Rs. 453 per day or Rs 13592 per month

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

12. Hydro Power Projects

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Hydro Power Projects**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UN-SKILLED WORKERS :	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser,	375	11250

Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator , Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Elctrician, Mali **398 11950**

SKILLED WORKERS :

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, **435 13062**

Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor(Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years Experience) and Dhobi.

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience) **518** **15530**

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

Sample Calculation of Minimum Rates of Wages is given as below:

	Category of Worker	Minimum Rates of Wages (per day) (Rs.)	Admissibility of 25% increase in Under-Construction Hydro Electric Power Projects Located in Non-Tribal Areas (per day) (Rs.)	Total Wages arrived at as per column no. 3+4 (per day) (Rs.)	Admissibility of 20% Tunnel Allowance over and above the Minimum Rates of Wages as per the column no. 5 (per day) (Rs.)	Total admissibility of Minimum Wages (per day) (Rs.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(A)	Unskilled	375	94	469	94	563
(B)	Semi-Skilled	398	100	498	100	597
(C)	Skilled	435	109	544	109	653
(D)	Highly-Skilled	517	129	647	129	777

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as under:-

- (i) **Unskilled:** An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

**No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-**

07-07-2023

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023.

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Pharmaceuticals' Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Minimum	Wages
	Daily	Monthly
Unskilled		
Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs. 375	Rs. 11250
Semi Skilled		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 387	Rs. 11601
Skilled		
Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician,	Rs. 435	Rs. 13062

Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.

Highly Skilled:-

Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, **Rs. 518** **Rs. 15530**
Medical and Sales Representatives, B.Pharm, Accountant B.Sc.
Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographer.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Hospitals/Nursing Homes & Clinics**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**.

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy and Masalchi.	375 Daily 11250 Monthly.	348 Daily 10429 Monthly
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Sweeper, Operation Theatre Assistant, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Ward Boy and	396 Daily. 11891 Monthly	363 Daily. 10900 Monthly.

Ward Attendant (0-3 Years Experience)

Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years experience)	435 Daily	400 Daily
	13062 Monthly	12006 Monthly.

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder, Accountant and Stenographer	453 Daily.	419 Daily
	13592 Monthly	12580 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) **Unskilled:** An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent

judgement or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

15. Domestic Workers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Domestic Workers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Unskilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and Washer man	375 Daily 11250 Monthly.	317 Daily. 9514 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard and Mali	396 Daily. 11891 Monthly	329 Daily, 9864 Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook and Driver	435 Daily. 13062 Monthly	350 Daily 10508 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgement and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.

4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

16. Safai Karamchhari Employment

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Safai Karamchhari Employment**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled:- Sweeper/Safai Karamchhari, Beldar and Cartman,	Rs. 375	Rs. 11250
Semi Skilled		
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 387	Rs. 11601
Skilled		
Driver,Mason,Plumber, Storekeeper,Accounts Clerk,	Rs 435	Rs. 13062

Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.

Highly Skilled

Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer, **Rs. 518** **Rs. 15530**

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

**No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-**

07-07-2023

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

17. Security Services

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Security Services**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09.05.2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Un-Skilled	Daily	Monthly
Helper and Watchman	Rs. 375	Rs. 11250
Semi skilled		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 387	Rs. 11601
Skilled		
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 435	Rs. 13062

Highly Skilled

Security Officer, Security Manager,

518

Rs. 15530

Stenographer and Accountant.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Skilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

18. Temples and Religious Places/Dharamshalas

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Temples and Religious Places/Dharamshalas**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of workers	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs	Rs
Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar.	375 Daily	348 Daily
	11250 Monthly	10429 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest	396 Daily	363 Daily
Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and	11891 Monthly	10900 Monthly

Complaint Attendant.

Skilled:	Rs.	Rs.
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit,	435 Daily	400 Daily
Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	13062 Monthly	12006 Monthly

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan	453 Daily.	419 daily
Singer, Stenographer, and Accountant.	13592 Monthly	12580 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important

decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

19. Workers Working in Toll Tax Barriers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Workers Working in Toll Tax Barriers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 9 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

	Minimum Daily	Wages Monthly
Un-skilled Workers :-		
Peon, Office Boy and Masalchi.	Rs. 375	Rs. 11250

Semi-skilled:-

Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard and Complaint Attendant.	Rs. 387 per day or Rs. 11601per month
---	--

Skilled:-

Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier. **Rs. 435 per day or Rs. 13062 per month**

Highly-Skilled:-

Supervisor, Superintendent, Stenographer and Accountant. **Rs. 518 per day or Rs. 15530 per month**

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He

must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

1. कृषि

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **कृषि** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से **375 रूपए प्रतिदिन या 11250 रूपए प्रतिमास** की दर से संशोधित करते हैं:-

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढ़ौतरी/वृद्धि लागू होगी ।

अकुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी: -

(i) अकुशल: अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है ।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 **07-07-2023**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2023 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

1	2	3
कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मजदूरी मासिक
अकुशल कर्मकार:	रुपए	रुपए
भिशाती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टैम्पर ग्रेड-II/गलेजियर/पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/ बिटुमेन के लिए स्प्रे मैन्/पाइप लाइन मैन् /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्वोरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रैक्टर एव रोड़ रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मजदूर/ सर्वे बाँय/ वाचमैन / टी बाँय / पीअन (चपरासी)/ ड्रेसर / आयल मैन् / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बाँय हैल्पर (0 से 5 वर्ष के अनुभव वाले) /खलासी (0 से 3 वर्ष के अनुभव वाले) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।	375	11250
अर्धकुशल कर्मकार:	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड-II/ मैसन ग्रेड- II / स्यूअर मैन् / ब्लैक स्मिथ ग्रेड- II / सैनिटरी फिटर ग्रेड- II / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन् रोडज/ क्रेन-मैन्/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ (बोट मैन्) / क्रेन-मैन् / डिस्टैम्पर ग्रेड-I/फिटर ग्रेड-II फ्लोर-पॉलिशर/ / स्टोन ड्रेसर /माली / वैल-सिंकर / वहाइट-वाशर/ वर्कशाप	398	11950

मैकेनिक ग्रेड-II, टर्नर-ग्रेड- II / पाइप फिटर ग्रेड- II / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वैलडर / सहायक टर्नर/ बैटरी चार्जर / ड्रेसर (अर्हित/अनुभवी) / हैमरमैन/कुक / वल्कनाइज़र/नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रौली ऑपरेटर / एटैन्डेन्ट (स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डेन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन / हैल्पर (5 वर्ष और इससे अधिक का अनुभव वाले)/ आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड-वाचमैन / सहायक-लैवलर / खलासी (3 से 8 वर्ष व इससे अधिक का अनुभव वाले) / स्टोन-ड्रेसर / पम्प-एटैन्डेन्ट /ऑटो इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-II / गार्डनर / गेज-रीडर / सहायक लैब एटैन्डेन्ट /ऑटो इलेक्ट्रिशियन / मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/स्टोन ड्रेसर / स्टोन-ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन-क्रशर

1 ½ इंच से 2 इंच
2223 रुपए प्रति सौ घन फुट
1 इंच से 1¼ इंच रुपये
2480 रुपए प्रति सौ
घन फुट

कुशल कामगार:

कारपेन्टर ग्रेड- I/ मैसन ग्रेड- I/ ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड- I/अप-होलसल्टर ग्रेड- I / सहायक पम्प ऑपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड.- II / जल आपूर्तिफिटर/ कारपेन्टरग्रेड- II / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड-I / दर्जी या टेलर ग्रेड- II / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड- I / पाइप फिटर ग्रेड- I/ऑटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर-आपरेटर / संरचनात्मक फिटर ग्रेड- I / वर्कशाप फिटर/ जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कशिग प्लांट फिटर / प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / ऑटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रीजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-ऑपरेटर/ शाफ्ट माइनर / कोचरिंग ऑपरेटर / डोजर ऑपरेटर / रोकलेन ऑपरेटर / सक्केपर-ऑपरेटर / लोडर ऑपरेटर / क्रेन-ऑपरेटर / युकलिड-ऑपरेटर / वैगन ड्रिल-ऑपरेटर / बोरिंग-ऑपरेटर / एस.एल.डी. क्रेन ऑपरेटर/ प्लांट-ऑपरेटर / आइस प्लांट ऑपरेटर या वैलडर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ / ट्रैक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन ऑपरेटर/खलासी/जमादार / वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर / विन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर / मोल्डर / लेवलरज साँ मिल कटर/केबल जाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड-II / खलासी (8 वर्ष और इसस अधिक के अनुभव वाले) / ट्रेसर ऑपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / कम्प्रेसर/ रौकर शोवेल ऑपरेटर / स्नो कटर

रु.	पै.	रु.	पै.
435		13062	

ऑपरेटर / लोको-ऑपरेटर/ गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन /
वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक /
डी.जी.सेट ऑपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड-III.

उच्च कुशल

	रु० पै०	रु० पै०
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड-I / चार्ज मैन ग्रेड-I / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड-I / टर्नर ग्रेड-I/ मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड- I/ सर्वेयर / ड्राफ्टसमैन / सहायक फोरमैन / मशीनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राइवर/ वायरमैन / ऑटो इलेक्ट्रिशियन/ इलेक्ट्रिशियन / कैमिकल एनालाइजर ।	518	15530

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

	रुपए	रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी/ सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क / बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फैंरो-प्रिन्टर / ड्राइवर (जीप/ कार/ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।	435	13062

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणार्थीन हाईड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणार्थीन हाईड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत से की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसे कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

3. लोक मोटर परिवहन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों का 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2023 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ):

375 रुपए प्रतिदिन	11250 रुपए प्रतिमास
----------------------	------------------------

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी

(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल)

(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है ।

अर्ध-कुशल

389 रुपए प्रतिदिन	11670 रुपए प्रतिमास
----------------------	------------------------

1. सहायक इलेक्ट्रिशियन
2. सहायक मकैनिक
3. सहायक फिटर
4. सहायक ब्लैक स्मिथ
5. सहायक कारपेंटर

6. सहायक वैल्डर
7. सहायक टर्नर
8. सहायक बोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट
10. सहायक कुशन-मेकर
11. सहायक बोल्केनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलैक्ट्रिशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्रीडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो
19. सहायक मोल्डर ।

कुशल-:

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन स्प्रे पेंटर, इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रिट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षरा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

रु 425 प्रतिदिन या
रु. 12749 प्रतिमास

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रिशियन / गैरेज सुपर वाइजर।

रु0 471 प्रतिदिन या
रु. 14139 प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

ग्रुप -ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक-राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर कीपर, पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

रु0 425 प्रतिदिन या
रु. 12749 प्रतिमास

ग्रुप-बी:

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक |
रु 447 प्रतिदिन या
रु. 13403 प्रतिमास

ग्रुप-सी:

हैड एसिस्टैण्ट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर ।

रु0 527 प्रतिदिन
रु. 15807 प्रतिमास

रनिंग-स्टाफ:

1 ड्राइवर

रु0 476 प्रतिदिन
रु.14288 प्रतिमास

2 कन्डक्टर

रु0 435 प्रतिदिन
रु. 13038 प्रतिमास

3 कलीनर कम कन्डक्टर

रु0 407 प्रतिदिन
रु. 12200 प्रतिमास

4 पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क

रु0 261 प्रतिदिन
रु. 7834 प्रतिमास

टिप्पणी:-

1. समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।

- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या:
1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारियों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय,
उपलब्ध नहीं करवाई और संयुक्त आवास,
गई है सुविधा उपलब्ध करवाई
गई है

अकुशल :

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार /
चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची
/ गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर/
मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मैसेंजर /
क्लाकरूम अटेंडेन्ट / पोर्टर/भिश्ती / बेलदार
/ फायरमैन /
पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो
अकुशल कार्य कर रहा हो ।

रुपए 375 दैनिक

रुपए 348 दैनिक

रुपए 11250 मासिक

रुपए 10429 मासिक

अर्धकुशल :

हैडपोर्टर/ पैंटरीमैन / काफी टीमेकर /
चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर

रुपए 396 दैनिक

रुपए 363 दैनिक

रुपए 11891 मासिक

रुपए 10900 मासिक

(सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक
 -आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट
 / बिल-कलैक्टर / कनवैसर / कुक / असिस्टेंट-
 हलवाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर
 / रूलिंग-कटिंग औक्शनर / माली /
 सीवरमैन / होटल-गाइड
 / सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर /
 सहायक-टर्नर / सहायक / वैल्डर
 सहायक-इलैक्ट्रिशियन / सहायक / सेल्जमैन
 / सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन /
 बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवाइंडर / वेटर /
 वेयरर / ऐसिसटेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर
 / व्हाइट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर /
 कलर्क / (नॉन मेट्रिक / सहायक स्टोर
 कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक-मशीनमैन /
 इनक्वायरी अटैन्डेन्ट / टेलीफोन अटैन्डेन्ट /
 'आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक ।

कुशल:

ब्लैक स्मिथ / टिनस्मिथ / वाचमेकर /
 रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर /
 ड्राइवर / सहायक टेलर / कटर (टेलरिंग) /
 जनरल मकैनिक / हलवाई कुक / कन्फैक्शनर
 / बेकर / स्टुवार्ड / बटलर / फिटर /
 ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन-ओपरेटर /
 कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर / शाल
 कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा
 आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / ड्रायर
 / बारबर / रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट /
 वेल्डर / मोल्डर / कौशियर / क्लर्क
 (मैट्रिक) / मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर /
 वियरर / स्टोर-कीपर / हैड वेटर /
 हैड-वेयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल) /
 लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो
 इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

रुपए 435 दैनिक रुपए 400 दैनिक
 रुपए 13062 मासिक रुपए 12006 मासिक

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / लेखाकार / मुख्य रूपए 453 दैनिक रूपए 419 दैनिक
खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर / रूपए 13592 मासिक रूपए 12580 मासिक
हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन
/ सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

टिप्पणी:-

- 1, समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
- 5, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसे कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा ।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके ।

वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 **07-07-2023**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

5. वानिकी उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2023 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	न्यूनतम मजदूरी मासिक
अकुशल कर्मकार		
1 वृक्षों का गिराना	रुपए 375	रुपए 11250
1 लोपर (छांगी)	रुपए 396	रुपए 11891
2. फ़ैलर (गिरानी)	रुपए 383	रुपए 11505
2 लागिंग एण्ड साइंग टिम्बर पासिंग सहित		
1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 383	रुपए 11505
2. सायर (चिरानी)	रुपए 471	रुपए 14139
3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 443	रुपए 13276
3 ढुलान, ढेरी लगाना और शारीरिक श्रम द्वारा इमारती लकड़ी का हस्तांतरण:		
1. ढुलाई के लिए मजदूर।	रुपए 383	रुपए 11505
2. इमारती लकड़ी को लादनें और उतारने के लिए मजदूर।	रुपए 383	रुपए 11505
4 रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाई:		

1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 471	रुपए 14139
2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 443	रुपए 13276
5 पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राई स्लाइड), नाला बहान और दरिया बहान और (रिवर फलोटींग) द्वारा ढुलाई:		
1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 505	रुपए 15148
2. तारू	रुपए 485	रुपए 14539
3. असिसटेंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 453	रुपए 13592
4. दरियामैन	रुपए 485	रुपए 14539
5. घालू	रुपए 412	रुपए 12366
6. जमादार	रुपए 412	रुपए 12366
6 यत्रीकृत लोगिंग और लकड़ी की निकासी:		
1. सर्वेयर	रुपए 474	रुपए 14224
2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 443	रुपए 13276
3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 415	रुपए 12453
4. कम्प्रेसर ड्राइवर	रुपए 415	रुपए 12453
7 क्लैरिकल स्टाफ :		
1. मैनेजर	रुपए 546	रुपए 16374
2. एकाउन्टेंट	रुपए 421	रुपए 12644
3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 383	रुपए 11505
8 सॉ मिल वर्कर :		
1. बेंड सॉ मिस्त्री	रुपए 443	रुपए 13276
2. सुपरवाइजर	रुपए 438	रुपए 13149
3. हैड मिस्त्री	रुपए 443	रुपए 13276
4. बॉयलर ड्राइवर	रुपए 443	रुपए 13276
5. एसिसटेंट मिस्त्री	रुपए 389	रुपए 11670
6. पलेनर मिस्त्री	रुपए 389	रुपए 11670
7. हेल्पर	रुपए 383	रुपए 11505
8. कटर मैन	रुपए 383	रुपए 11505
9 कत्था निकासी :		
1. फ़ैलर तथा चिप्पर	रुपए 383	रुपए 11505
2. कत्था सुपरवाइजर / कत्था प्रौसेसर	रुपए 383	रुपए 11481

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी)

टिप्पणी:-

- 1 समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल**: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 **07-07-2023**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रासायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम दरें
	दैनिक मासिक
अकुशल:	रूपए रूपए 11250
	375
अर्धकुशल:	दैनिक मासिक
	रूपए रूपए

एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-1, मशीन लेवलर, सलैक्टर, कटर-कम-मार्किट सैलर, अम्पुलर, हैगमैन, आई.टी.आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।

कुशल:

साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिस्टेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड-II, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, एसिस्टेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिकुलेट), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर आई0टी0आई0 प्रमाण (सर्टिफिकेट) धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत हैं ।

दैनिक मासिक

रूपए रूपए
435 13062

दैनिक मासिक

उच्च-कुशल:

बॉयलर अटेंडेंट (प्रथम श्रेणी),ओवर सीयर, हैड फोरमैन ।

रूपए रूपए
518 15530

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ाव लागू होगी ।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है । अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

7. इंजीनियरिंग उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.5.2023 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2023 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
अकुशल	375	11250
अर्धकुशल:		
टेपर ग्रेड- III, टर्नर ग्रेड- III, ड्रिलर ग्रेड- III, रोमर ग्रेड- III, शेयर मैन ग्रेड- III, मशीनमैन, मशीनिस्ट/ आपरेटर ग्रेड- III, ब्रजर ग्रेड- III, हैड स्पीनिंग बाइंडर/ लाइनर ग्रेड- III, प्रैस आपरेटर ग्रेड- III, स्प्रे पेंटर ग्रेड- III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड- III, असैम्बलर ग्रेड- III, कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड- III, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर, इलैक्टोप्लेटर ग्रेड- III, मोपर ग्रेड- III, ग्राइंडर ग्रेड- III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेड- III, थ्रैड/ रोलर आपरेटर ग्रेड- III, बुक स्क्यू मशीन आपरेटर ग्रेड- III, फीडर ग्रेड- III, डाइमेकर ग्रेड- III, वैल्डर ग्रेड- III, टिनस्मिथ ग्रेड- III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड- III, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड- III, बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड- III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड III, ऑयलमैन।	दैनिक रूपए 387	मासिक रूपए 11601
कुशल:		
टेपर ग्रेड- II, टर्नर ग्रेड- II, ड्रिलर ग्रेड- II, शेपर ग्रेड- II, शेपर मैन ग्रेड- II,	दैनिक	मासिक

स्लाटरमैन ग्रेड- II, मशीनिस्ट/ ऑपरेटर/ब्रजर ग्रेड-II,लाइनर ग्रेड-II,स्प्रे पेन्टर ग्रेड-II, ट्रांसफर मिकसर ग्रेड-II, प्रैस ऑपरेटर ग्रेड-II, असैम्बलर ग्रेड-II,टेलर ग्रेड-II,इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-II, मोपर ग्रेड-II,ग्राइडर ग्रेड-II, हैडमशीन ऑपरेटर ग्रेड-II,थ्रैड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड-II,बुक स्क्रू मशीन ऑपरेटर ग्रेड-II, गोल्ड ड्रा मशीन ऑपरेटर ग्रेड-II, फिटर ग्रेड-II, कारपेंटर /पैटर्न मेकर ग्रेड-II, डाईमेकर ग्रेड -II, साइस्टर ग्रेड-II, वैल्डर ग्रेड-II, टिनस्मिथ ग्रेड-II, हैमरमैन ग्रेड-II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-II, टूलसैटर ग्रेड-II, इलैक्ट्रिकल लाइनमैन ग्रेड-II, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-II, आरमैचर वाईडर और कॉईल वाईडर ग्रेड-II, केबल ज्वाइंटर ग्रेड-II, वाऊचर इंस्पैक्टर ग्रेड-II, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड-II, मोल्डर ग्रेड-II,सुपरवाईजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।	रूपए 435	रूपए 13062
---	-------------	---------------

उच्च-कुशल:-

टर्नर ग्रेड- I,ग्राइडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड- I, शेपर मैन ग्रेड- I,सलाटरमैन ग्रेड- I, मिलर ग्रेड- I, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड- I, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड- I,फिटर ग्रेड- I, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड- I,डाईमेकर ग्रेड- I,एन्ग्रेवर ग्रेड- I, ब्लैकस्मिथ ग्रेड- I,डाईसैटर ग्रेड- I,टूल सैटर ग्रेड- I,इलैक्ट्रिशियन ग्रेड- I।	दैनिक रूपए 518	मासिक रूपए 15530
---	----------------------	------------------------

क्लेरिकल स्टाफ:

	दैनिक रूपए 402	मासिक रूपए 12074
--	----------------------	------------------------

कौशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर।

टिप्पणी:-

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (1) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

8.चाय बागान (टी प्लांटेशन)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन) " के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित मजदूरी

न्यूनतम

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाडनें, स्प्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, निराई, कांट -छांट करने, गुडाई करने, तुडाई आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।	रूपए 375 दैनिक	रूपए 11250 मासिक
--	--------------------------	-------------------------------

ए-ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे **27** रूपए प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे **21** रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है तो उसे **16** रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को कमशः चाय पत्तियों के -'ए', 'बी व 'सी' ग्रेड के लिए **27** रूपए, **21** रूपए और **16** रूपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे।

अर्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को **381** रूपए प्रतिदिन, **11441** रूपए (मासिक) प्रतिमास मिलेंगे ।

कारखाना :

इसमें लिफ्ट मजदूर, (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिपिंग मजदूर, फर्मेटिंग रूम कर्मकार, टी ब्याएज, साटर्ज, टी-मेकर, टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं ।

रूपए **375** दैनिक और
रूपए **11250** मासिक

प्लांटेशन :

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर, माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

रूपए **375** रूपए दैनिक
रूपए **11250** मासिक

क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ

1. लेखाकार रूपए **573** प्रतिदिन रूपए **17197** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
2. लिपिक रूपए **435** प्रतिदिन रूपए **13062** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
3. मुन्शी रूपए **456** प्रतिदिन रूपए **13690** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं ।
4. चपरासी / चौकीदार / चौधरी रूपए **381** प्रतिदिन रूपए **11441** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं ।

	दैनिक	मासिक
5. कम्पाउन्डर	रूपए 531	रूपए 15930
6. ड्राइवर (जीप/कार/ट्रैक्टर)	रूपए 476	रूपए 14288
7. मकैनिक	रूपए 535	रूपए 16059
8. असिस्टेंट मकैनिक	रूपए 474	रूपए 14224
9. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - ।	रूपए 535	रूपए 16059
10. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - ।।	रूपए 474	रूपए 14224

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।

3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

2023

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-ट में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापना ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948" की धारा-2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रूपए 375 प्रतिदिन या रूपए 11250 प्रतिमास
अर्ध-कुशल	रूपए 386 प्रतिदिन या रूपए 11601 प्रतिमास
कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ)	रूपए 435 प्रतिदिन या रूपए 13062 प्रतिमास
उच्च कुशल	रूपए 518 प्रतिदिन या रूपए 15530 प्रतिमास

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।

3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
3. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
4. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

10.होटल और रैस्टोरेंट

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई जहां खाना, चाय
प्रसुविधा और संयुक्त
उपलब्ध नहीं आवास की प्रसुविधा
करवाई गई है उपलब्ध करवाई गई
है

1.

2.

3.

अकुशल:

रूपए

रूपए

हैल्पर / चौकीदार / चपरासी / स्वीपर / मसालची
/ गेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लार्क
अटेंडेंट / पोटर / भिश्ती / बेलदार / फायरमैन
/ पांडी / पोस्टर मैन कोई अन्य कामकार जो
अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।

रूपए 375 दैनिक

रूपए 348 दैनिक

रूपए 11250

रूपए 10429

मासिक

मासिक

अर्धकुशल कर्मकार

पैट्रीमैन / कॉफी-टी मेकर / चपातीमैन / सहायक
बेकर / कुक / सहायक हलवाई / बुक बांडर /
स्टिचर / रूलिंग कटिंग / ऑक्शनर / माली /
होटल गाइड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट फिटर

रूपए 396 दैनिक

रूपए 364 दैनिक

रूपए 11890

रूपए 10932

मासिक

मासिक

/ सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर / असिस्टेंट
 वैल्डर / असिस्टेंट इलैक्ट्रीशियन / असिस्टेंट
 सेल्जमैन / असिस्टेंट वार्बर / धोबी / प्रैसमैन /
 बॉयलरमैन / फिल्म रिवाइंडर / वाटरवेयरर / असिस्टेंट
 रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर / पकौडा और
 चना मेकर / क्लर्क (नॉनमैट्रिक) / असिस्टेंट स्टोर
 कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर और, असिस्टेंट मशीनमैन /
 इनक्वायरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट /
 आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो अन्य ट्रेड में
 कार्यरत है ।

कुशल कर्मकार:

ड्राइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर /
 बेकर / स्टीवार्ड / बटलर / ड्राफ्ट्समैन /
 टेलीफोन ऑपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर /
 बियरर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड
 वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0
 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

रूपए

रूपए

रूपए 435 दैनिक
 रू० 13062 मासिक

रूपए 400 दैनिक
 रू. 12006 मासिक

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / अकाउंटेंट
 / हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर
 / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर
 / हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन
 / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

रूपए

रूपए

रू. 453 दैनिक
 रू० 13592 मासिक

रू. 419 दैनिक
 रू.12580 मासिक

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधत से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या:
1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

11. निजी शैक्षणिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रुपए 375 प्रतिदिन या रुपए 11250 प्रतिमाह
अर्ध-कुशल	रुपए 396 प्रतिदिन या रुपए 11891 प्रतिमाह
कुशल	रुपए 435 प्रतिदिन या रुपए 13062 प्रतिमाह
उच्च कुशल	रुपए 453 प्रतिदिन या रुपए 13592 प्रतिमाह

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित हीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

4. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2023** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार

	न्यूनतम	मजदूरी
	दैनिक	मासिक
चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक,पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक,एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक,टरनर का सहायक, इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक, वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटैन्डेन्ट, जनरेटर अटैन्डेन्ट, टीएम अटैन्डेन्ट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का	रु.375	रु.11250

सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, क्लीनर –कम–बेलदार, वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले क्लीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कंडीशनिंग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

अर्ध-कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ **रु.398** **रु. 11950**
जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर, कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्वोरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डेण्ट, जनरेटर अटैन्डेण्ट, लोकोमोटिव अटैन्डेण्ट, कन्क्रीट मिक्चर अटैन्डेण्ट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोरेट्री सहायक, गेज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल इंजन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटैन्डेण्ट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटैन्डेण्ट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रैपर, पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्प्लेंट अटैन्डेण्ट, कनिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, माली ।

कुशल कर्मकार :-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट **रु.435** **रु.13062**
ऑपरेटर, क्रशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, गैन्ट्री ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक/जम्बो ऑपरेटर,

मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन,फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रिशियन, पेन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाइन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाइजर,कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेक्निकल सुपरवाइजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो क्रेन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रैप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोर्टार बाइंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, स्टोर कीपर, लेखा क्लर्क, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

उच्च- कुशल कर्मकार :-

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ बार बाइन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ वेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सपर्ट, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट, खलासी (आठ वर्ष से अधिक का अनुभव)।

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुदेय होगी।
 6. गैर जन-जातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
 7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।
- मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना उक्त दिए गए उदहारण के अनुसार होगी।

1	2	3	4	5	6	7
(क)	अकुशल	375	94	469	94	563
(ख)	अर्ध-कुशल	398	100	498	100	597
(ग)	कुशल	435	109	544	109	653
(घ)	अत्यधिक-कुशल	517	129	647	129	777

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि " फार्मास्यूटिकल उद्योग "के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2023 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार

	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपिंग हैल्पर, चपरासी, ।	रूपए 375	रूपए 11250

अर्ध-कुशल कर्मकार :-

तकनीशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिक्योरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट ।	रूपए 387	रूपए 11601
--	----------	------------

कुशल कर्मकार :-

ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीक्ल सुपरवाइजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर,	रूपए 435	रूपए 13062
--	----------	------------

इलैक्ट्रिशियन, स्टोर कीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क,
कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार :-

सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, रूपए 518 रूपए 15530

मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव , बी0 फार्मा, एकाउन्टेन्ट,

बीएससी केमिस्ट, एमएससी केमिस्ट और स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा ।

(iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लिनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लिनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2023 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय और
उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास सुविधा
गई है उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल कर्मकार:-

हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, वॉच मैन्, चपरासी, रूम
ब्वाय, आफिस ब्वाय और मसालची।

रूपए 375 दैनिक

रूपए 348 दैनिक

रूपए 11250 मासिक

रूपए 10429 मासिक

अर्ध- कुशल कर्मकार :-

क्लिनिक अटेन्डेंट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन, गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर असीसटेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, असीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट, वार्ड ब्वाय और वार्ड अटेन्डेंट (0 से 3 वर्ष अनुभव)	रूपए 396 दैनिक रूपए 11891 मासिक	रूपए 363 दैनिक रूपए 10900 मासिक
--	------------------------------------	------------------------------------

कुशल कर्मकार:-

रिसेप्शनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेड दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडियो ग्राफर,ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट,चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट,स्टोर कीपर,एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक और धोबी वार्ड ब्वाय और वार्ड अटेन्डेंट (3 वर्ष से ऊपर अनुभव)।	रूपए 435 दैनिक रूपए 13062 मासिक	रूपए 400 दैनिक रूपए 12006 मासिक
--	------------------------------------	------------------------------------

उच्च कुशल कर्मकार:-

स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर ।	रु.453 दैनिक रु.13592 मासिक	रु.419 दैनिक रु.12580 मासिक
--	--------------------------------	--------------------------------

टिप्पणी:-

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:—

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।

- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या:
1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

15. घरेलू कर्मकार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कर्मकार"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2023 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन,चाय और
उपलब्ध नहीं संयुक्त आवास सुविधा
करवाई गई है उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल कर्मकार:-

हेल्पर,आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन और
वॉशर मैन ।

रूपए 375 दैनिक रूपए 317 दैनिक
रूपए 11250 मासिक रूपए 9514 मासिक

अर्ध- कुशल कर्मकार :-

सिक्योरिटी गार्ड और माली ।

रूपए 396 दैनिक रूपए 329 दैनिक
रूपए 11891 मासिक रूपए 9864 मासिक

कुशल कर्मकार :-

कुक और चालक

रूपए 435 दैनिक

रूपए 350 दैनिक

रूपए 13062 मासिक

रु.10508 मासिक

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2023 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम	मजदूरी
अकुशल कर्मकार:-	दैनिक	मासिक
स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन।	रूपए 375	रूपए 11250
अर्ध- कुशल कर्मकार :-		
वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्प्लेन्ट अटैन्डेंट।	रूपए 387	रूपए 11601

कुशल कर्मकार :-

चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।	रूपए 435	रूपए 13062
--	----------	------------

उच्च कुशल कर्मकार :-

टिप्पणी:-

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 **07.07.2023**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

17. सुरक्षा सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2023 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	दैनिक	मासिक
अकुशल कर्मकार:-		
हेल्पर और वॉच मैन ।	रुपए 375	रुपए 11250
अर्ध-कुशल कर्मकार:-		
सिक्थोरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट ।	रुपए 387	रुपए 11601
कुशल कर्मकार :-		
सिक्थोरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	रुपए 435	रुपए 13062
उच्च कुशल कर्मकार :-		
सिक्थोरिटी ऑफिसर , सिक्थोरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट टिप्पणी:-	रुपए 518	रुपए 15530

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।

2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुदेय होगी।
 6. गैर जनजातियों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
 7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो-इलैक्ट्रीक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।
- अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—**

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 **07.07.2023**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2023** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल कर्मकार :-

चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय और बेलदार ।

रूपए 375 दैनिक

रूपए 348 दैनिक

रूपए 11250 मासिक

रूपए 10429 मासिक

अर्ध-कुशल कर्मकार :

चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, टेम्पल अटेन्डेन्ट, भोग रूम अटेन्डेन्ट, हॉल अटेन्डेन्ट, सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेन्ट ।

रूपए 396 दैनिक

रूपए 363 दैनिक

रूपए 11891 मासिक

रूपए 10900 मासिक

कुशल कर्मकार:-

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेंट, रिसेप्शनिस्ट, पुजारी, पंडित, रूपए 435 दैनिक रूपए 400 दैनिक
कुक, मौलवी, ग्रन्थी, पादरी, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स रूपए 13062 मासिक रूपए 12006 मासिक
क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार:-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेंडेंट, रागी, बजन्त्री, भजन रूपए 453 दैनिक रूपए 419 दैनिक
गायक, स्टेनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट, रूपए 13592 मासिक रूपए 12580 मासिक

टिप्पणी:-

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियमसंख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी की लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल**:- अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल**: अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कर्मकार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों" में कार्यरत कर्मकारों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2023** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार:-

चपरासी, ऑफिस ब्वाय और मसालची ।

न्यूनतम दैनिक रूपए	मजदूरी मासिक रूपए
375	11250

अर्ध-कुशल कर्मकार :-

हैल्पर कुक, कैश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट ।

न्यूनतम दैनिक रूपए	मजदूरी मासिक रूपए
387	11601

कुशल कर्मकार :-

इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

न्यूनतम दैनिक रूपए	मजदूरी मासिक रूपए
435	13062

उच्च कुशल कर्मकार :-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट ।

न्यूनतम दैनिक रूपए	मजदूरी मासिक रूपए
518	15530

टिप्पणी:-

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।
आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)
सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 **07.07.2023**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)



ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
OFFICE OF THE LABOUR COMMISSIONER

F.No. 16/1/MW/2019-20/LC&DET/ 667

Port Blair, Date the 07th July, 2023

ORDER

Whereas in exercise of powers conferred under Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 read with Notification No. LP 24(1) dated the 16th March 1949 of the Govt. of India, Ministry of Labour, the Lt. Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands had last revised Minimum Wages per day in the Six Schedules of Employment covered under Minimum Wages Act, 1948 in the Union Territory of A&N Islands vide Notification No. 300/2017/F.No.16/1/MW/2013-14/LC&DET dated 11th December, 2017.

And whereas the rates are required to be revised on Six-Monthly Basis in pursuance of the above said Notification.

Now, therefore the Lt. Governor (Administrator), A&N Islands declares the following Minimum Rates of Wages w.e.f 01.07.2023 across Six Schedules of Employments, in addition to Govt. Departments/ Offices/ Industrial Establishments taking into account the Average All India Consumer Price Index from the period October, 2022 to March, 2023.

Category Of employees	Minimum wage per day
Unskilled	Rs. 538/-
Semi Skilled / unskilled Supervisory	Rs. 595/-
Skilled / Clerical	Rs. 680/-
Highly Skilled	Rs. 738/-

The other terms and conditions as mentioned in the Notification No.300/2017/F.No.16/1/MW/2013-14/LC&DET dated 11th December 2017 shall remain unchanged.


By order and in the name of Lieutenant Governor
A & N Islands

Additional Secretary (Labour)/Labour Commissioner

Copy to:

1. Secretary to Govt. of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi.
2. All Head of Departments/ Offices under the A&N Administration.
3. All Members of the Advisory Committee.
4. All Central Govt. Departments/ Offices in A&N Islands.
5. All PRI Members/ Local Bodies.
6. The PS to Hon'ble Lt. Governor, A&N Islands, Raj Niwas, Port Blair.
7. All PS to Secretaries.
8. The SIO, NIC, Port Blair for information and uploading the same on www.and.nic.in as well as www.labour.nic.in
9. SOVTECH, Port Blair for uploading on portal.
10. The Assistant Secretary (Labour), A&N Administration, Secretariat, Port Blair. (05 Copies)
11. Office of the Assistant Labour Commissioner, Rangat & Hut Bay.
12. All Sections in the Secretariat, A&N Administration.
13. Spare copies – 50.

By order and in the name of Lieutenant Governor
A & N Islands



Additional Secretary (Labour)/Labour Commissioner

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांचो वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूल वेतन दर (दरमहा रूपये)															
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३									
			किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन							
६	काजू प्रक्रिया उद्योग	१ गट-१ (सुपरवायझर, टंकलेखक, लिपिक, रोखपाल, भांडारपाल, वाहनचालक)	७,५००	४,६०८	१२,१०८													
		२ गट-२(अ) (ग्रेडर, रोस्टर, ड्रायर.)	७,०००	४,६०८	११,६०८													
		३ गट-२(ब) (सेलर, पिलर)	६,५००	४,६०८	११,१०८													
		४ गट-२ (ड्रेल्पर, वॉचमन व सत्सम कामगार)	६,५००	४,६०८	११,१०८													
७	कागदी, गवती पुड्यापासून खोकी तयार करणारा उद्योग	१ कुशल	४,६५०	६,५९८	११,२४८	४,४००	६,५९८	१०,९९८	४,१५०	६,५९८	१०,७४८							
		२ अर्धकुशल	४,४००	६,५९८	१०,९९८	४,१५०	६,५९८	१०,७४८	३,९००	६,५९८	१०,४९८							
		३ अकुशल	४,१५०	६,५९८	१०,७४८	३,९००	६,५९८	१०,४९८	३,६५०	६,५९८	१०,२४८							
८	रासायनिक खते बनविणारा उद्योग	१ कुशल	५,६००	७,३३२	१२,९३२	५,४००	७,३३२	१२,७३२	५,२००	७,३३२	१२,५३२							
		२ अर्धकुशल	५,१००	७,३३२	१२,४३२	४,९००	७,३३२	१२,२३२	४,७००	७,३३२	१२,०३२							
		३ अकुशल	४,६००	७,३३२	११,९३२	४,४००	७,३३२	११,७३२	४,२००	७,३३२	११,५३२							
९	कॅन्टीन आणि क्लब उद्योग	१ कुशल	७,७००	६,६०८	१४,३०८	७,४००	६,६०८	१४,००८	७,२००	६,६०८	१३,८०८							
		२ अर्धकुशल	७,०००	६,६०८	१३,६०८	६,७००	६,६०८	१३,३०८	६,५००	६,६०८	१३,१०८							
		३ अकुशल	६,५००	६,६०८	१३,१०८	६,२००	६,६०८	१२,८०८	६,०००	६,६०८	१२,६०८							

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)															
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३									
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन							
१०	सिमेट व सिमेटवर आधारित उद्योग	१ कुशल	३,७१०	६,४२१	१०,१३१	३,४१०	६,४२१	९,८३१	३,११०	६,४२१	९,५३१							
		२ अर्धकुशल	३,६१०	६,४२१	१०,०३१	३,३१०	६,४२१	९,७३१	३,०१०	६,४२१	९,४३१							
		३ अकुशल	३,५१०	६,४२१	९,९३१	३,२१०	६,४२१	९,६३१	२,९१०	६,४२१	९,३३१							
११	रस्ते तयार करणे, देखरेख करणे, बांधकाम उद्योग	१ कुशल	२१,८६०	९०२	२२,७६२	२०,९९०	९०२	२१,८९२	२०,१२५	९०२	२१,०२७							
		२ अर्धकुशल	२०,३४५	९०२	२१,२४७	१९,४७५	९०२	२०,३७७	१८,६१०	९०२	१९,५१२							
		३ अकुशल	१९,२६५	९०२	२०,१६७	१८,४००	९०२	१९,३०२	१७,५३०	९०२	१८,४३२							
अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)															
१२	चित्रपट प्रदर्शनाचा उद्योग		मल्टीप्लेक्स			परिमंडळ १			परिमंडळ २			टुरिंग टाकिंग						
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन				
		१ कुशल	५,५००	६,६७५	१२,१७५	५,०००	६,६७५	११,६७५	४,५००	६,६७५	११,१७५	४,०००	६,६७५	१०,६७५				
२ अर्धकुशल	५,०००	६,६७५	११,६७५	४,५००	६,६७५	११,१७५	४,०००	६,६७५	१०,६७५	३,५००	६,६७५	१०,१७५						
३ अकुशल	४,५००	६,६७५	११,१७५	४,०००	६,६७५	१०,६७५	३,५००	६,६७५	१०,१७५	३,०००	६,६७५	९,६७५						
१३	सायकल यांत्रिकी कार्यशाळेतील कामधंदा	१ कुशल	५,५००	६,९९८	१२,४९८	५,०००	६,९९८	११,९९८										
		२ अर्धकुशल	५,०००	६,९९८	११,९९८	४,५००	६,९९८	११,४९८										
		३ अकुशल	४,५००	६,९९८	११,४९८	४,०००	६,९९८	१०,९९८										

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)								
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३		
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन
१४	दवाखाना उद्योग	१ कुशल	२,०००	६,८४४	१५,८४४	८,७००	६,८४४	१५,५४४	८,०००	६,८४४	१४,८४४
		२ अर्धकुशल	८,८००	६,८४४	१५,६४४	८,३००	६,८४४	१५,१४४	७,८००	६,८४४	१४,६४४
		३ अकुशल	८,५००	६,८४४	१५,३४४	८,०००	६,८४४	१४,८४४	७,५००	६,८४४	१४,३४४
१५	औषधी द्रव्ये व औषध बनविणारा उद्योग	१ कुशल	१६,६०५	१,०५४	१७,६५९	१६,०००	१,०५४	१७,०५४	१५,५९०	१,०५४	१६,६४४
		२ अर्धकुशल	१५,१८५	१,०५४	१६,२३९	१४,५८०	१,०५४	१५,६३४	१४,१७०	१,०५४	१५,२२४
		३ अकुशल	१४,१७०	१,०५४	१५,२२४	१३,५६५	१,०५४	१४,६१९	१३,१५५	१,०५४	१४,२०९
१६	दुग्धालय (डेअरी) उद्योग	१ कुशल	५,५००	७,४४२	१२,९४२	५,२५०	७,४४२	१२,६९२	५,०००	७,४४२	१२,४४२
		२ अर्धकुशल	५,०००	७,४४२	१२,४४२	४,७५०	७,४४२	१२,१९२	४,५००	७,४४२	१२,९४२
		३ अकुशल	४,५००	७,४४२	११,९४२	४,२५०	७,४४२	११,६९२	४,०००	७,४४२	११,४४२
१७	लिफ्टाणाच्या वहात बनविणारा उद्योग	१ कुशल	६,०००	५,१९२	११,१९२	५,६००	५,१९२	१०,७९२	५,२००	५,१९२	१०,३९२
		२ अर्धकुशल	५,८००	५,१९२	१०,९९२	५,४००	५,१९२	१०,५९२	५,०००	५,१९२	१०,१९२
		३ अकुशल	५,६००	५,१९२	१०,७९२	५,२००	५,१९२	१०,३९२	४,८००	५,१९२	९,९९२
१८	खाण्याचा तंबाखू उद्योग	१ कुशल	३,७००	६,३३६	१०,०३६			-			-
		२ अर्धकुशल	३,२००	६,३३६	९,५३६			-			-
		३ अकुशल	३,०००	६,३३६	९,३३६			-			-
१९	अभियंत्रिका उद्योग	१ कुशल	१६,४५०	१,०५४	१७,५०४	१६,०४५	१,०५४	१७,०९९	१५,२२५	१,०५४	१६,२७९
		२ अर्धकुशल	१५,०२५	१,०५४	१६,०७९	१४,६२०	१,०५४	१५,६७४	१३,८०५	१,०५४	१४,८५९
		३ अकुशल	१४,०१०	१,०५४	१५,०६४	१३,६०५	१,०५४	१४,६५९	१२,७९५	१,०५४	१३,८४९
२०	कारखाने अधिनियम, १९४८ च्या कलम २ पोट कलम (एम) वा व्याख्येतील कारखाने	१ कुशल	१२,६०५	२,२००	१४,८०५	१२,७७०	२,२००	१२,९७०	१२,२५५	२,२००	१३,४५५
		२ अर्धकुशल	११,४४५	२,२००	१३,६४५	१०,८००	२,२००	१३,०००	१०,१६०	२,२००	१२,३६०
		३ अकुशल	१०,३५०	२,२००	१२,५५०	९,७०५	२,२००	११,९०५	९,०००	२,२००	११,२००

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपधे)														
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३								
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन						
२१	शाईपेन व बॉलपेन बनविणारा उद्योग	१ कुशल	५,३००	८,०२१	१३,३२१	५,१००	८,०२१	१३,१२१									
		२ अर्धकुशल	५,०५०	८,०२१	१३,०७१	४,८५०	८,०२१	१२,८७१									
		३ अकुशल	४,८००	८,०२१	१२,८२१	४,६००	८,०२१	१२,६२१									
२२	चित्रपट निर्मिती उद्योग	१ कुशल	५,७००	७,९९८	१३,६९८	५,५००	७,९९८	१३,४९८									
		२ अर्धकुशल	५,२००	७,९९८	१३,१९८	५,०००	७,९९८	१२,९९८									
		३ अकुशल	४,७००	७,९९८	१२,६९८	४,५००	७,९९८	१२,४९८									
२३	काच वलय बनविणारा उद्योग	१ कुशल	७,८००	६,६०८	१४,४०८	७,६००	६,६०८	१४,२०८	७,२००	६,६०८	१३,८०८						
		२ अर्धकुशल	७,१००	६,६०८	१३,७०८	६,९००	६,६०८	१३,५०८	६,५००	६,६०८	१३,१०८						
		३ अकुशल	६,६००	६,६०८	१३,२०८	६,४००	६,६०८	१३,००८	६,०००	६,६०८	१२,६०८						
२४	काच उद्योग	१ कुशल	७,७००	६,६०८	१४,३०८	७,४००	६,६०८	१४,००८	७,२००	६,६०८	१३,८०८						
		२ अर्धकुशल	७,०००	६,६०८	१३,६०८	६,७००	६,६०८	१३,३०८	६,५००	६,६०८	१३,१०८						
		३ अकुशल	६,५००	६,६०८	१३,१०८	६,२००	६,६०८	१२,८०८	६,०००	६,६०८	१२,६०८						
२५	निवासी हॉटेल व उपहारगृह उद्योग	१ कुशल	७,७००	६,६०८	१४,३०८	७,४००	६,६०८	१४,००८	७,२००	६,६०८	१३,८०८						
		२ अर्धकुशल	७,०००	६,६०८	१३,६०८	६,७००	६,६०८	१३,३०८	६,५००	६,६०८	१३,१०८						
		३ अकुशल	६,५००	६,६०८	१३,१०८	६,२००	६,६०८	१२,८०८	६,०००	६,६०८	१२,६०८						
२६	केश कर्तनालय उद्योग	१ कुशल	७,७००	६,६०८	१४,३०८	७,४००	६,६०८	१४,००८	६,९००	६,६०८	१३,५०८						
		२ अर्धकुशल	७,०००	६,६०८	१३,६०८	६,७००	६,६०८	१३,३०८	६,२००	६,६०८	१२,८०८						
		३ अकुशल	६,५००	६,६०८	१३,१०८	६,२००	६,६०८	१२,८०८	५,७००	६,६०८	१२,३०८						
२७	रुग्णालय उद्योग	१ कुशल	६,२००	७,३८९	१३,५८९	६,०००	७,३८९	१३,३८९	५,८००	७,३८९	१३,१८९						
		२ अर्धकुशल	५,७००	७,३८९	१३,०८९	५,५००	७,३८९	१२,८८९	५,३००	७,३८९	१२,६८९						
		३ अकुशल	५,३००	७,३८९	१२,६८९	५,१००	७,३८९	१२,४८९	४,९००	७,३८९	१२,२८९						

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूल वेतन दर (दरमहा रूपये)														
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३								
			किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन						
२८	वर्षे व शितपेय बनविणारा उद्योग	१	कुशल	६,०००	६,६२०	१२,६२०	५,७००	६,६२०	१२,३२०				-				
		२	अर्धकुशल	५,५००	६,६२०	१२,१२०	५,२००	६,६२०	११,८२०					-			
		३	अकुशल	५,०००	६,६२०	११,६२०	४,७००	६,६२०	११,३२०					-			
२९	मद्य उत्पादनातील रोजगार	१	कुशल	९,९१०	५,०३९	१४,९४९	९,९१०	५,०३९	१४,२२९	८,४७०	५,०३९	१३,५०९					
		२	अर्धकुशल	९,६७०	५,०३९	१४,७०९	८,९५०	५,०३९	१३,९८९	८,२२५	५,०३९	१३,२६४					
		३	अकुशल	९,४३०	५,०३९	१४,४६९	८,७१०	५,०३९	१३,७४९	७,९९०	५,०३९	१३,०२९					
३०	धोबीकाम उद्योग	१	कुशल	७,७००	६,६०८	१४,३०८	७,४००	६,६०८	१४,००८	७,२००	६,६०८	१३,८०८					
		२	अर्धकुशल	७,०००	६,६०८	१३,६०८	६,७००	६,६०८	१३,३०८	६,५००	६,६०८	१३,१०८					
		३	अकुशल	६,५००	६,६०८	१३,१०८	६,२००	६,६०८	१२,८०८	६,०००	६,६०८	१२,६०८					
३१	चष्मा चौकटी बनविणारा उद्योग	१	कुशल	५,६००	७,१९८	१२,७९८	५,४००	७,१९८	१२,५९८	५,२००	७,१९८	१२,३९८					
		२	अर्धकुशल	५,१००	७,१९८	१२,२९८	४,९००	७,१९८	१२,०९८	४,७००	७,१९८	११,८९८					
		३	अकुशल	४,६००	७,१९८	११,७९८	४,४००	७,१९८	११,५९८	४,२००	७,१९८	११,३९८					
३२	तेल गिरणी उद्योग	१	कुशल	१०,३५०	४,९५६	१५,३०६	९,८००	४,९५६	१४,७५६				-				
		२	अर्धकुशल	९,४००	४,९५६	१४,३५६	८,८५०	४,९५६	१३,८०६					-			
		३	अकुशल	८,५००	४,९५६	१३,४५६	७,९५०	४,९५६	१२,९०६					-			
३३	कागद व कागदी पत्रा बनविणारा उद्योग	१	कुशल	६,१००	७,२६२	१३,३६२	५,९००	७,२६२	१३,१६२	५,७००	७,२६२	१२,९६२					
		२	अर्धकुशल	५,६००	७,२६२	१२,८६२	५,४००	७,२६२	१२,६६२	५,२००	७,२६२	१२,४६२					
		३	अकुशल	५,१००	७,२६२	१२,३६२	४,९००	७,२६२	१२,१६२	४,७००	७,२६२	११,९६२					
३४	प्लास्टिक उद्योग	१	कुशल	५,३००	६,९९८	१२,२९८	५,१५०	६,९९८	१२,१४८	५,०००	६,९९८	११,९९८					
		२	अर्धकुशल	४,८००	६,९९८	११,७९८	४,६५०	६,९९८	११,६४८	४,५००	६,९९८	११,४९८					
		३	अकुशल	४,३००	६,९९८	११,२९८	४,१५०	६,९९८	११,१४८	४,०००	६,९९८	१०,९९८					

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)								
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३		
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन
३५	पेट व चॉनिश वनविणारा उद्योग	१ कुशल	८,२००	६,६०८	१४,८०८	७,८००	६,६०८	१४,४०८	७,४००	६,६०८	१४,००८
		२ अर्धकुशल	७,५००	६,६०८	१४,१०८	७,१००	६,६०८	१३,७०८	६,७००	६,६०८	१३,३०८
		३ अकुशल	७,०००	६,६०८	१३,६०८	६,६००	६,६०८	१३,२०८	६,२००	६,६०८	१२,८०८
३६	घोटे, चुरमुरे व कुरमुरे वनविणारा उद्योग	१ कुशल	४,४००	७,३९२	११,७९२	४,२००	७,३९२	११,५९२			-
		२ अर्धकुशल	४,२५०	७,३९२	११,६४२	४,०५०	७,३९२	११,४४२			-
		३ अकुशल	३,८००	७,३९२	११,१९२	३,६००	७,३९२	१०,९९२			-
३७	घंजभाग उद्योग	१ कुशल	१०,१००	५,८५८	१५,९५८	९,५००	५,८५८	१५,३५८	८,५००	५,८५८	१४,३५८
		२ अर्धकुशल	९,५००	५,८५८	१५,३५८	९,०००	५,८५८	१४,८५८	८,०००	५,८५८	१३,८५८
		३ अकुशल	९,०००	५,८५८	१४,८५८	८,५००	५,८५८	१४,३५८	७,५००	५,८५८	१३,३५८
३८	मुद्रण उद्योग	१ कुशल	४,६००	६,४२१	११,०२१	४,३००	६,४२१	१०,७२१	३,७००	६,४२१	१०,१२१
		२ अर्धकुशल	४,५००	६,४२१	१०,९२१	४,२००	६,४२१	१०,६२१	३,६००	६,४२१	१०,०२१
		३ अकुशल	४,४००	६,४२१	१०,८२१	४,१००	६,४२१	१०,५२१	३,५००	६,४२१	९,९२१
३९	सार्वजनिक मोटार वाहतूक उद्योग	१ कुशल अ (मल्टीअक्सल वाहनचालक, व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक)	५,७००	७,३९२	१३,०९२	५,५००	७,३९२	१२,८९२			-
		२ कुशल ब (इतर वाहनचालक)	५,५००	७,३९२	१२,८९२	५,३००	७,३९२	१२,६९२			-
		३ कुशल क (वाहक, लिपिक)	५,३००	७,३९२	१२,६९२	५,१००	७,३९२	१२,४९२			-
		४ अर्धकुशल (सर्व सहायक)	४,६००	७,३९२	११,९९२	४,४००	७,३९२	११,७९२			-
		५ अकुशल (मदतनीस, विलनर)	४,२००	७,३९२	११,५९२	४,०००	७,३९२	११,३९२			-

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूल वेतन दर (दरमहा रूपये)								
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३		
			किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन
४०	तयार कपडे बनविणारा उद्योग	१ कुशल	८,६००	६,८४४	१५,४४४	८,४००	६,८४४	१५,२४४	७,८००	६,८४४	१४,६४४
		२ अर्धकुशल	७,९००	६,८४४	१४,७४४	७,७००	६,८४४	१४,५४४	७,९००	६,८४४	१४,७४४
		३ अकुशल	७,४००	६,८४४	१४,२४४	७,२००	६,८४४	१४,०४४	६,६००	६,८४४	१३,४४४
४१	रबर उद्योग	१ कुशल	७,७००	६,६०८	१४,३०८	७,४००	६,६०८	१४,००८	७,२००	६,६०८	१३,८०८
		२ अर्धकुशल	७,०००	६,६०८	१३,६०८	६,७००	६,६०८	१३,३०८	६,५००	६,६०८	१३,१०८
		३ अकुशल	६,५००	६,६०८	१३,१०८	६,२००	६,६०८	१२,८०८	६,०००	६,६०८	१२,६०८
४२	भात, पीठ व डाळ गिरणीतील उद्योग	१ कुशल	४,६००	७,३९२	११,९९२	४,४००	७,३९२	११,७९२			-
		२ अर्धकुशल	४,१००	७,३९२	११,४९२	३,९००	७,३९२	११,२९२			-
		३ अकुशल	३,८००	७,३९२	११,१९२	३,६००	७,३९२	१०,९९२			-
४३	रबरी चुने बनविणारा उद्योग	१ कुशल	४,३००	७,३९२	११,६९२	४,२००	७,३९२	११,५९२	४,१००	७,३९२	११,४९२
		२ अर्धकुशल	४,१००	७,३९२	११,४९२	३,९००	७,३९२	११,२९२	३,८००	७,३९२	११,१९२
		३ अकुशल	३,८००	७,३९२	११,१९२	३,७००	७,३९२	११,०९२	३,६००	७,३९२	१०,९९२
४४	पोलादी सामान बनविणारा उद्योग	१ कुशल	७,८००	६,६०८	१४,४०८	७,६००	६,६०८	१४,२०८	७,२००	६,६०८	१३,८०८
		२ अर्धकुशल	७,१००	६,६०८	१३,७०८	६,९००	६,६०८	१३,५०८	६,५००	६,६०८	१३,१०८
		३ अकुशल	६,८००	६,६०८	१३,४०८	६,४००	६,६०८	१३,००८	६,०००	६,६०८	१२,६०८
४५	सिफ्ट उद्योग	१ कुशल	६,३००	६,०२४	१२,३२४			-			-
		२ अर्धकुशल	५,८००	६,०२४	११,८२४			-			-
		३ अकुशल	५,३००	६,०२४	११,३२४			-			-
४६	दगड फोडणे व खड्दी करणे उद्योग	१ कुशल	९,५००	४,२९०	१३,७९०	९,१००	४,२९०	१३,३९०			-
		२ अर्धकुशल	८,५००	४,२९०	१२,७९०	८,१००	४,२९०	१२,३९०			-
		३ अकुशल	८,०००	४,२९०	१२,२९०	७,६००	४,२९०	११,८९०			-

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)														
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३								
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन						
४७	सौंदर्य प्रसाधने व साबण बनविणारा उद्योग	१ कुशल	७,७००	६,६०८	१४,३०८	७,४००	६,६०८	१४,००८	७,१००	६,६०८	१३,७०८						
		२ अर्धकुशल	७,०००	६,६०८	१३,६०८	६,७००	६,६०८	१३,३०८	६,४००	६,६०८	१३,००८						
		३ अकुशल	६,५००	६,६०८	१३,१०८	६,२००	६,६०८	१२,८०८	५,९००	६,६०८	१२,५०८						
४८	दुकाने व व्यापारी आस्थापना उद्योग	१ कुशल	११,६३२	२,६७८	१४,३१०	११,०३६	२,६७८	१३,७१४	१०,४४०	२,६७८	१३,११८						
		२ अर्धकुशल	१०,८५६	२,६७८	१३,५३४	१०,२६०	२,६७८	१२,९३८	९,६६४	२,६७८	१२,३४२						
		३ अकुशल	१०,०२१	२,६७८	१२,६९९	९,४२५	२,६७८	१२,१०३	८,८२८	२,६७८	११,५०६						
४९	सफाईगार व मेहतर कामगार	१ पूर्णकालिक सफाईगार किंवा मेहतर, तत्सम कामगार	१०,०००	५,६१०	१५,६१०	९,७५०	५,६१०	१५,३६०	९,४५०	५,६१०	१५,०६०						
		२ दररोज ४ तास काम करणारे अंशकालिक सफाईगार किंवा मेहतर	पूर्णकालिक सफाईगारांसाठी किंवा मेहतरांसाठी निश्चित केलेल्या एकूण वित्तलक्षीच्या (मूळ वेतन व विशेष भत्त्याच्या) ६० टक्के (१००००+५६१०= १५६१०) (१५६१० × ६०% = ९३६६) (९३६६)														
५०	लाकूट फटाई उद्योग	१ कुशल	९,४५०	४,२०८	१३,६५८	९,१००	४,२०८	१३,३०८	८,७५०	४,२०८	१२,९५८						
		२ अर्धकुशल	८,६५०	४,२०८	१२,८५८	८,३००	४,२०८	१२,५०८	७,९५०	४,२०८	१२,१५८						
		३ अकुशल	७,८००	४,२०८	१२,००८	७,५००	४,२०८	११,७०८	७,१५०	४,२०८	११,३५८						
५१	कातडी कमावणे व खासदग्याच्या वस्तू तयार करणे	१ कुशल	९,०००	५,१८४	१४,१८४	८,५००	५,१८४	१३,६८४	८,०००	५,१८४	१३,१८४						
		२ अर्धकुशल	८,५००	५,१८४	१३,६८४	८,०००	५,१८४	१३,१८४	७,५००	५,१८४	१२,६८४						
		३ अकुशल	८,०००	५,१८४	१३,१८४	७,५००	५,१८४	१२,६८४	७,०००	५,१८४	१२,१८४						
५२	धान्याची भांडी बनविणारा उद्योग	१ कुशल	९,२००	७,५५२	१६,७५२	९,०००	७,५५२	१६,५५२	८,५००	७,५५२	१६,०५२						
		२ अर्धकुशल	८,५००	७,५५२	१६,०५२	८,३००	७,५५२	१५,८५२	७,८००	७,५५२	१५,३५२						
		३ अकुशल	८,०००	७,५५२	१५,५५२	७,६००	७,५५२	१५,३५२	७,३००	७,५५२	१४,८५२						९

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)																	
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३											
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन									
५३	लाकडो फोटो चौकट बनविणारा उद्योग	१ कृशल	७,७००	६,६०८	१४,३०८	७,४००	६,६०८	१४,००८	७,२००	६,६०८	१३,८०८									
		२ अर्धकृशल	७,०००	६,६०८	१३,६०८	६,७००	६,६०८	१३,३०८	६,५००	६,६०८	१३,१०८									
		३ अकृशल	६,५००	६,६०८	१३,१०८	६,२००	६,६०८	१२,८०८	६,०००	६,६०८	१२,६०८									
५४	लाकडो फर्निचर बनविणारा उद्योग	१ कृशल	७,६००	६,६०८	१४,२०८	७,४००	६,६०८	१४,००८	७,२००	६,६०८	१३,८०८									
		२ अर्धकृशल	६,९००	६,६०८	१३,५०८	६,७००	६,६०८	१३,३०८	६,५००	६,६०८	१३,१०८									
		३ अकृशल	६,४००	६,६०८	१३,००८	६,२००	६,६०८	१२,८०८	६,०००	६,६०८	१२,६०८									
५५	घड्याळाचे पट्टे बनविणारा उद्योग	१ कृशल	५,५००	७,३९२	१२,८९२	५,२००	७,३९२	१२,५९२	४,९००	७,३९२	१२,२९२									
		२ अर्धकृशल	५,१००	७,३९२	१२,४९२	४,८००	७,३९२	१२,१९२	४,५००	७,३९२	११,८९२									
		३ अकृशल	४,८००	७,३९२	१२,१९२	४,५००	७,३९२	११,८९२	४,२००	७,३९२	११,५९२									
५६	हातमाग उद्योग	१ कृशल	७,०००	४,४१६	११,४१६	८,०००	४,४१६	१२,४१६	८,५००	४,४१६	१२,९१६									
		२ अर्धकृशल	६,५००	४,४१६	१०,९१६	७,५००	४,४१६	११,९१६	८,०००	४,४१६	१२,४१६									
		३ अकृशल	६,०००	४,४१६	१०,४१६	७,०००	४,४१६	११,४१६	७,५००	४,४१६	११,९१६									
५७	मातीची भांडी बनविणारा उद्योग	१ कृशल	८,०००	४,४१६	१२,४१६	७,५००	४,४१६	११,९१६	७,०००	४,४१६	११,४१६									
		२ अर्धकृशल	७,५००	४,४१६	११,९१६	७,०००	४,४१६	११,४१६	६,५००	४,४१६	१०,९१६									
		३ अकृशल	७,०००	४,४१६	११,४१६	६,५००	४,४१६	१०,९१६	६,०००	४,४१६	१०,४१६									
अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)																	
५८	वन व वनशास्त्र विषयक रोजगार		अतिवृग्म क्षेत्र			इतर क्षेत्र														
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन												
			१ कृशल	६,०००	६,९४७	१२,९४७	५,५५०	६,९४७	१२,४९७											
२ अर्धकृशल	५,६००	६,९४७	१२,५४७	५,१००	६,९४७	१२,०४७														
३ अकृशल	५,२००	६,९४७	१२,१४७	४,७००	६,९४७	११,६४७														

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)																			
			परिमंडळ १			परिमंडळ २																
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन														
५९	घाटी उद्योग	१ कुशल	५,५००	७,३३२	१२,८३२	५,२००	७,३३२	१२,५३२														
		२ अर्धकुशल	५,०००	७,३३२	१२,३३२	४,८००	७,३३२	१२,१३२														
		३ अकुशल	४,५००	७,३३२	११,८३२	४,३००	७,३३२	११,६३२														
६०	तंबाखू (बिडी) उद्योग	१	एक हजार विड्या वळणारे सर्व कर्मचारी (विड्यांसाठी पाने तोडणारे मजूर यांच्यासह) स्पष्टीकरण - सर्व परिमंडळात विड्याची पाने मालकांकडून पुरविण्यात येतील.																			
			२१०	३,५९१		१९२	३,५९१															
		२	एक हजार पुड्यांना (बंडले) वेष्टन लावणे, लेबल लावणे आणि पुडकी बांधणे या कामामध्ये असलेले सर्व कर्मचारी -																			
			(एक) एक लेबल लावून किंवा आवेष्टन न करता फक्त दोन लेबले लावून पुडकी तयार करण्यात येत असतील.																			
			१९६	३,५९१		१९२	३,५९१															
			(दोन) दोन लेबले लावून पुडकी तयार करण्यात येत असतील																			
			२०३	३,५९१		१९२	३,५९१															
			स्पष्टीकरण - या दरांच्या प्रयोजनार्थ -																			
			(एक) पुड्यांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या विड्यांची संख्या विचारात न घेता पुड्यांची मोजणी करण्यात येईल. .																			
			(दोन) लेबल म्हणजे चौकोनी लेबल, गोल टिकले (गोल लेबल) किंवा खंडी पट्टी किंवा त्यासारखी लेबले.																			
		३	पोती भरण्याच्या कामात समाविष्ट असलेले सर्व कर्मचारी म्हणजेच पोती भरणे, शिंवणे, धुपी लावणे किंवा तंबाखू निर्माण कार्यात तत्सम काम करणारे कामगार प्रत्येक पोत्याचे वजन ५० किलोपर्यंत असेल अशा बाबतीत.																			
			१५	३,५९१		१४	३,५९१															
४	(एक) तराईवाला																					
	(वर्ग)	५,६००	३,५९१	९,१९१	५,१८०	३,५९१	८,७७१															
	(दोन) बिडी निवडणारा कर्मचारी																					
		५,६००	३,५९१	९,१९१	५,१८०	३,५९१	८,७७१															
	(तीन) बिडी तपासणीस व बिडी मोजणारा																					
	५,६००	३,५९१	९,१९१	५,१८०	३,५९१	८,७७१																

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूल वेतन दर (दरमहा रूपये)														
			परिमंडळ १			परिमंडळ २											
			किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन									
६०	तंबाखू (बिडी) उद्योग	(बारा) ट्रक किंवा लॉरी यांचा स्वच्छक (क्लीनर) वॉन्पावर असताना ८०.५ कि.मी. पेक्षा जास्त प्रवास असेल तेव्हा दैनिक भत्ता म्हणून (परिमंडळ -१ करिता प्रतिदिन रु. ८० व परिमंडळ -२ करिता रु. ७८ देणे)	दरमहा	५०४० +८०	३,५९१	८,६३१	४९९० +७८	३,५९१	८,५८१								
			(तेरा) पहारेकरी किंवा चौकीदार, शिपाई	दरमहा	५,४६०	३,५९१	९,०५१	५,३२०	३,५९१	८,९११							
			५. तपकीर उद्योग आस्थापनेत पुढील कामे हाताने करणारे सर्व कर्मचारी-														
			(एक) तपकीर पुढ्यांमध्ये भरणे	दरमहा	६,०२०	३,५९१	९,६११	५,६००	३,५९१	९,१९१							
			(दोन) तंबाखू मिसळणे	दरमहा	७,२८०	३,५९१	१०,८७१	६,५८०	३,५९१	१०,१७१							
			(तीन) तंबाखू दळणे	दरमहा	७,१४०	३,५९१	१०,७३१	७,०००	३,५९१	१०,५९१							
			६. सर्व अकृशल कामगार (कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असलेले)	दरमहा	५,३२०	३,५९१	८,९११	४,९९०	३,५९१	८,५८१							

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)													
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३							
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन					
६१	स्थानिक स्वराज्य संस्था अ) ग्रामपंचायत	१	कुशल	१४,१२५	२,२९४	१६,४१९	१३,७६०	२,२९४	१६,०५४	१२,६६५	२,२९४	१४,९५९				
		२	अर्धकुशल	१३,४२०	२,२९४	१५,७१४	१३,०५५	२,२९४	१५,३४९	११,९६०	२,२९४	१४,२५४				
		३	अकुशल	१३,०८५	२,२९४	१५,३७९	१२,७१५	२,२९४	१५,००९	११,६२५	२,२९४	१३,९१९				
	ब) ग्रामपंचायत तगळून	१	कुशल	१४,०००	७,८४०	२१,८४०	१२,०००	७,८४०	१९,८४०	११,०००	७,८४०	१८,८४०				
		२	अर्धकुशल	१३,०००	७,८४०	२०,८४०	११,०००	७,८४०	१८,८४०	१०,०००	७,८४०	१७,८४०				
		३	अकुशल	११,५००	७,८४०	१९,३४०	१०,०००	७,८४०	१७,८४०	८,५००	७,८४०	१६,३४०				
६२	रंग व रसायने वनविणारा उद्योग	१	कुशल	८,२००	४,९६८	१३,१६८	७,५००	४,९६८	१२,४६८	६,५००	४,९६८	११,४६८				
		२	अर्धकुशल	७,७००	४,९६८	१२,६६८	७,०००	४,९६८	११,९६८	६,०००	४,९६८	१०,९६८				
		३	अकुशल	७,२००	४,९६८	१२,१६८	६,५००	४,९६८	११,४६८	५,५००	४,९६८	१०,४६८				

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)													
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३							
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन					
६४	म्हशी किवा गाई किवा दोन्ही जेथे दूध काढण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी, पार पाळण्यासाठी आणि इतर सर्व अनुबंधित प्रक्रियासाठी ठेवण्यात येतात, अशा कोणत्याही जागेतील कामधंदा (तबेला)	१	कृशल	९,४००	४,८००	१४,२००	८,६००	४,८००	१३,४००	७,८००	४,८००	१२,६००				
		२	अर्धकृशल	८,७००	४,८००	१३,५००	८,०००	४,८००	१२,८००	७,२००	४,८००	१२,०००				
		३	अकृशल	८,०००	४,८००	१२,८००	७,३००	४,८००	१२,१००	६,७००	४,८००	११,५००				
६५	मिठागरातील कामधंदा	१	अतिकृशल	५,०००	६,९९८	११,९९८			-			-				
		२	कृशल	४,६००	६,९९८	११,५९८			-			-				
		३	अर्धकृशल	४,३००	६,९९८	११,२९८			-			-				
		४	अकृशल	४,०००	६,९९८	१०,९९८			-			-				

क्र. क्र.	अनुसूचित उद्योगधर्म पत्र	कारखान्याची बर्गवारी	परिचालन दिवस मूल वेतन दर (दरमहा रुपये)																	
			संसाधक वेतने			परिचालक १			परिचालक २			परिचालक ३			परिचालक ४					
			दिवस मूल वेतन दर (Basic Rate)	शिरोप सहायकी रक्कम (उरी मधील)	एकूण दिवस वेतन	दिवस मूल वेतन दर (Basic Rate)	शिरोप सहायकी रक्कम (उरी मधील)	एकूण दिवस वेतन	दिवस मूल वेतन दर (Basic Rate)	शिरोप सहायकी रक्कम (उरी मधील)	एकूण दिवस वेतन	दिवस मूल वेतन दर (Basic Rate)	शिरोप सहायकी रक्कम (उरी मधील)	एकूण दिवस वेतन	दिवस मूल वेतन दर (Basic Rate)	शिरोप सहायकी रक्कम (उरी मधील)	एकूण दिवस वेतन			
६६	दोमरी कारखाना	अ) अ गटान मनुष्य दोमरगात काम करणारी कारखाना असलेल्या अनुसूचित इतर कारखान्यांसाठी	१	१८०	११०	२९०	१६०	११०	२७०	१९०	११०	३००	१६०	११०	२७०	२८५	१३०	३८५		
			२	४,६६०	३,३८१	८,०४१	४,६६०	३,३८१	८,०४१	४,४४०	३,३८१	७,८२१	४,१६०	३,३८१	७,५४१	४,०१०	३,३८१	७,३९१		
			३	कारखाना किंवा सार्विक			सांगू पाही			५६,१६०	४०,५८४	९६,७४४	५३,०४०	४०,५८४	९३,६२४	४९,१६०	४०,५८४	८९,७४४		
				ब) वेतन , सहाय किंवा शिरोप सहायकाचा वेतनाचा काम करणारा कारखान्यासाठी																
	१	२१०	११०	३२०	२१०	११०	३२०	२१०	११०	३२०	२१०	११०	३२०	२१०	११०	३२०	२१०	३२०		
	२	६,१४०	३,३८१	९,५२१	६,१४०	३,३८१	९,५२१	५,९२०	३,३८१	९,३०१	५,६४०	३,३८१	९,०२१	५,४९०	३,३८१	८,८७१				
	३	कारखाना किंवा सार्विक			सांगू पाही			७४,६८०	४०,५८४	११५,२६४	७१,७६०	४०,५८४	११२,३४४	७०,३००	४०,५८४	११०,८८४				
	६७	अदी साध कारणे उद्योग	कारखान्याची बर्गवारी	परिचालन दिवस मूल वेतन दर (दरमहा रुपये)																
				परिचालक १																
				दिवस मूल वेतन दर (Basic Rate)	शिरोप सहायकी रक्कम (उरी मधील)	एकूण दिवस वेतन														
१				२४०	१११	३५१														
२				१९०	१११	३०१														
३				सात सहाय किंवा सार्विक किंवा शिरोप सहायकाचा वेतनाचा कारखान्यात अनुसूचित कारखाना																
	पूर्व वेतन अनुसूचित कारखान्यासाठी निर्दिष्ट वेतनाचा वेतनाच्या ६० टक्के (१९० × ६०% = ११४ × ६०%)																			
	१२६	७१	१९७																	

शिरोप सहायकी रक्कम सर्व परिचालकांसाठी शिरोप सहायकाचा वेतनाच्या ६० टक्के (१९० × ६०%) = ११४ × ६०%

Sankha

(सं. म. कारखे)
कारखाना व अनुसूचित (उ.मि.), मुंबई
अ सहाय्य प्रमुख
दिवस मूल वेतन अधिकारी, १९६८



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(एम्प्लोयिज् स्टेट इन्सुरन्स कॉर्पोरेशन)
EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Government of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-
110002
E-mail id- eoffice-hq@esic.nic.in

No. P-11014/3/2022-Bft-II

Date: 24.07.2023

To,

All RDs/JDs/DDs(In-Charge)
All Regional/Sub Regional Office
Employees State Insurance Corporation

Subject:- Clarification regarding correction in Date of Birth of IP/IW beyond 03 years or more -regarding.

Sir/Madam,

With reference to above subject, it is informed that this office is continuously receiving letters/representations from various stakeholders and employers across country regarding editing/updation in their employee's particulars specially correction in Date of Birth. Insured Persons/Insured Women have been facing hardship for correction/updation in his/her particulars including Date of Birth where change varies 3 or more years.

In this connection, it is informed that ESI Corporation has implemented Aadhaar on voluntary basis for registration and providing benefits to Insured Persons and beneficiaries under the ESI Scheme. In this regard, online requests which are being received from Insured Persons relating to correction/updation in their particulars specifically Date Of Birth (varying three years or more) may be accepted as per details in their Aadhaar Card which carries specific date of birth.

Keeping in view, all Regional Directors/ Joint Director, In-charge's are requested to issue direction to all field offices under their jurisdiction for strict compliance in disposal off all online requests for edit/update of IPs and their family particulars as per this guideline within three days' time to mitigate the hardship faced by the IPs and their family members.

This issues with the approval of the Director General.

Yours faithfully

(Sunil Yadav)
Dy. Director (Benefit)

Copy to:- Web content manager for uploading the circular on
ESIC website.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072023-247591
CG-DL-E-25072023-247591

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2023/श्रावण 3, 1945

No. 430]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2023/SHRAVANA 3, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 536(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों को अंतर्विष्ट करने वाला प्रारूप, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 152 (अ), तारीख 24 फरवरी, 2022 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 24 फरवरी, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सुझाव या आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) इन्हें तारीख 1 जनवरी, 2021 को लागू माना जाएगा और तारीख 30 जून, 2021 तक छह महीने की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम 1950 में,-

(क) नियम 55 के, उप-नियम (1) के, तीसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि तारीख 01.04.2020 से पहले नियुक्त कोई व्यक्ति, तारीख 1 जनवरी 2021 से तारीख 30 जून 2021 की अवधि के लिए बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हित होगा, यदि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अंशदान, तारीख 1 अप्रैल 2020 से तारीख 30 सितंबर 2020 की अंशदान अवधि में उन्तालीस दिनों से कम या 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 की अंशदान अवधि में अठहत्तर दिनों से कम के लिए संदेय नहीं था और उस व्यक्ति के लिए बीमारी हितलाभ की दैनिक दर उप-नियम (2) में प्रदान की जाएगी, जिसकी संगणना यथास्थापित तारीख 1 अप्रैल 2020 से तारीख 30 सितंबर 2020 की अंशदान अवधि या तारीख 1 अक्टूबर 2019 से तारीख 31 मार्च 2020 तक की अंशदान अवधि के दौरान लागू मानक हितलाभ दर के आधार पर होगी";

(ख) नियम 56 के, उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया, अर्थात्:-

" परन्तु कि कोई बीमाकृत महिला तारीख 1 जनवरी 2021 से तारीख 30 जून 2021 की हितलाभ अवधि में होने वाले या होने के लिए आशयित प्रसव के लिए मातृत्व हितलाभ का दावा करने हेतु पात्र होगी, यदि ऐसी महिला संबंध में अंशदान, तुरंत पूर्ववर्ती दो लगातार अंशदान अवधियों, अर्थात्, तारीख 1 अक्टूबर 2019 से तारीख 31 मार्च 2020 और तारीख 1 अप्रैल 2020 से तारीख 30 सितंबर 2020 के ठीक पूर्ववर्ती अवधि में पैंतीस दिनों से कम के लिए संदेय नहीं था।"

[फा.सं. एस-65012/02/2021-एसएस-1]

अलोक चंद्र, ज्येष्ठ श्रम और रोज़गार सलाहकार

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212, तारीख 22 जून, 1950, द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2023

G.S.R. 536(E).—Whereas a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 152(E), dated the 24th February, 2022, as required under sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (XXXIV of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty day from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 24th February, 2022;

And whereas, no objection or suggestion has been received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (XXXIV of 1948), the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2023.
(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2021, and shall remain in force for a period of six months till the 30th day of June, 2021.
2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950,-
 - (a) in rule 55, in sub-rule (1), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that a person, appointed before the 1st April, 2020, shall be qualified to claim sickness benefit for the period 1st January, 2021 to the 30th June 2021, if the contributions in respect of such person were payable for not less than thirty-nine days during the contribution period 1st April, 2020 to the 30th September, 2020, or for not less than seventy-eight days during the contribution period 1st October, 2019 to the 31st March, 2020, and the daily rate of sickness benefit for that person shall be as provided in sub-rule (2) calculated on basis of standard benefit rate applicable during the contribution period 1st April, 2020 to the 30th September, 2020 or during the contribution period 1st October, 2019 to the 31st March, 2020, as the case may be.”;
 - (b) in rule 56, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that an insured woman shall be eligible to claim maternity benefit for a confinement occurring or expected to occur during the benefit period 1st January, 2021 to the 30th June, 2021, if the contributions to such woman were payable for not less than thirty-five days in the immediately preceding two consecutive contribution periods, namely, the 1st October, 2019 to the 31st March, 2020 and the 1st April, 2020 to the 30th September, 2020.”.

[F. No. S-65012/02/2021-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950.

(Web Circulation)



कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
एम् एफ् पीएफ़ संस्थान, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकानजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

G20



24 JUL 2023

No. INV-11/2/2021-INV

To,

All ACC(HQ)/ACC- Incharge of Zonal Offices
All RPFC-I/ Officers-In-Charge, Regional offices.

Subject: Declaration of Rate of Interest for the Employees' Provident Fund Members Account for the year 2022-23- regarding

Sir,

The Ministry of Labour and Employment, Government of India, has conveyed the approval of the Central Government under para 60(1) of Employees' Provident Fund Scheme, 1952 to credit interest@ 8.15 % for the year 2022-23 to the account of each member of the EPF Scheme as per the provisions under Para 60 of EPF Scheme, 1952.

2. You are accordingly, requested to issue necessary instructions to all concerned for crediting the said interest to the members' accounts.


(Authority: - Ministry of Labour and Employment letter no. R-11018/01/2023-SS-II dated 18.07.2023.)

Yours' faithfully,

(MSKV Satyanarayana)
Addl. Central P. F. Commissioner (Investment)

Copy to,

1. PPS to Secretary, Ministry of Labour & Employment - for information
2. PPS to AS, Ministry of Labour & Employment - for information
3. PPS to AS&FA, Ministry of Labour & Employment - for information
4. OSD to Central Provident Fund Commissioner - for information
5. PS to Central Provident Fund Commissioner - for information
6. PPS to FA&CAO and CVO - for information
7. All CBT Members.
8. All ACC(HQ), Head Office
9. Director, PDNASS, New Delhi
10. All Zonal Dy. Directors (Vig.)/ All Zonal Audit Officers.
11. Addl. Central P. F. Commissioner (HQ)/ (IS) - for information & necessary action
12. Addl. Central P. F. Commissioner (HQ)/(Exemption) - for information and necessary action
13. Addl. Central P.F. Commissioner (F&AWSU/CAIU) - for information and necessary action
14. Officer-in-Charge, ZTI, Kolkata, Ujjain, Faridabad & Chennai & Sub-ZTI, Shillong
15. All officers in Head office.
16. Central Organisations of Employers - CCI, CII, ASSOCHAM, FI CCI & PHO.
17. Central Organisations of Employees - All Central Trade Unions. w.r.t Letter No.R-11018/ 1/ 2017 -SS-II
18. Director (SS-II), Ministry of Labour & Employment, New Delhi
19. Director (Budget), Ministry of Finance, D/o Economic Affairs, Budget Division, New Delhi.
20. RPF-C-I (In-Charge), National Data Centre, for uploading the orders on the EPFO website.



(M. M. Ashraf)

Regional P. F. Commissioner - I (Investment)



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು
ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ

ಭಾಗ - ೪ಎ Part - IVA	ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ೧೩, ಜುಲೈ, ೨೦೨೩(ಆಷಾಢ, ೨೨, ಶಕವರ್ಷ, ೧೯೪೫) BENGALURU, THURSDAY, 13, JULY, 2023(ASHADHA, 22, SHAKAVARSHA, 1945)	ನಂ. ೩೨೧ No. 321
------------------------	--	--------------------

GOVERNMENT OF KARNATAKA

No. FD 09 CPT 2023

Karnataka Government Secretariat,
Vidhana Soudha,
Bengaluru, dated: 13.07.2023

NOTIFICATION-2

In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Karnataka Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1976 (Karnataka Act 35 of 1976), the Government of Karnataka hereby exempts with effect from the date of publication in the Gazette, the tax payable under the said Act, by the following, namely:-

1. Owners of Transport vehicles (other than Autorickshaws) not exceeding two in number, run on their own or through others under permits granted;
2. Holders of permits of two or less Taxies or three-wheeler goods / passenger vehicles;
3. Individual persons engaged in any profession, trades, callings and employment who are physically challenged who has total permanent disability of not less than 40% of both upper and lower extremity deformities subject to production of a certificate obtained from the Head of the Orthopaedic Department of Government Civil Hospital in the State;
4. Individual person having single child and who has undergone sterilisation operation, subject to production of certificate from the District Surgeon, Government Civil hospital, for having undergone such operation;
5. An ex-serviceman other than those covered under Serial no. 1 of the Schedule;
6. Person covered under Serial no. 1 of the above Schedule who are blind or deaf and dumb;

7. Foreign technicians employed in the State provided their appointments are approved by the Government of India for the purpose of exemptions from payment of Income Tax subject to a maximum of two years from the date of their joining duty;
8. All charitable and Philanthropic hospitals or Nursing homes situated in places below the Taluk level in all Districts of the State except Bengaluru, Ramanagara and Bengaluru Rural District;
9. Directors of Companies registered in Karnataka and nominated by the Financing agencies owned or controlled by the State Government or by other statutory bodies;
10. Combatant and civilian non-combatant members of the Armed Forces who are governed by the Army Act, 1950, the Navy Act, 1957 and the Air Force Act, 1950;
11. Institutes teaching Kannada or English shorthand or Typewriting;
12. Person running educational institutions, tutorial colleges and institutions teaching shorthand or Typewriting but excluding professional and technical educational institutions;
13. Central Para-Military Force (CPMF) Personnel; and
14. Persons running educational institutions in respect of their branches teaching classes up to twelfth standard or pre-university education.

By Order and in the name
of the Governor of Karnataka

(KAVITHA L)
Under Secretary to Government,
Finance Department (C.T-1)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247331
CG-DL-E-14072023-247331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405]
No. 405]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2023.

सा.का.नि. 504(अ).—जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, दिनांक 10 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि 357 (असा.) के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 के उप-नियम (1) में संशोधन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में कतिपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 10 मई, 2023 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(घ) संस्कृति मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या जीएसआर 7 दिनांक 18 जनवरी, 2023 के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित संस्कृति क्षेत्र विशिष्ट सुसंगत सुगम्यता मानक/दिशानिर्देश अधिसूचित किया गया है:”

[फा. सं. 38-03/2023-डीडी-III]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट: दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 05 जून, 2023 की सा.का.नि. 413 (अ) के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities(Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2023.

G.S.R. 504(E).—Whereas a draft of certain rules to amend sub-rule (1) of rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), *vide* notification of the Government of India the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities number G.S.R. 357(E), dated the 10th May, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 10th May, 2023;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule (15), in sub-rule (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(d) culture sector specific harmonised accessibility standards/guidelines, notified by the Government of India in the Ministry of Culture, *vide* notification number G.S.R. 7 dated 18th January, 2023, as amended from time to time:”

[F. No. 38-03/2023-DD-III]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 413 (E) , dated the 05th June, 2023.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072023-247413
CG-DL-E-18072023-247413

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]
No. 411]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2023/आषाढ 27, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2023/ASHADHA 27, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 517(अ).—जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, दिनांक 28 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि 335(असा.) के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (क) में संशोधन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में कतिपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 28 अप्रैल, 2023 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।
- (2) ऐसे संशोधन आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(इ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 7-6/एमवाईएस/एमडीएसडी/2021 के मध्यम से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग (में भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य खेल परिसर और आवासीय सुविधाओं पर दिशानिर्देश, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, का अनुपालन करेंगे:”

[फा. सं . 38-15/2022-DD-III]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट : दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 13 जुलाई, 2023 की सा.का.नि. 504(अ) के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2023

G.S.R. 517(E).—Whereas a draft of certain rules to amend sub-rule (1) of rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 was published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), *vide* notification of the Government of India the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities number G.S.R. 335(E), dated the 28th April, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 28th April, 2023;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule (15), in sub-rule (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) guidelines on accessible sports complex and residential facilities for sports persons with disabilities, notified by the Government of India in the Ministry of Youth Affairs and Sports (Department of Sports), *vide* notification number 7-6/MYAS/MDSD/2021 dated 13th October, 2022, as amended from time to time:”

[F. No. 38-15/2022-DD-III]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 504 (E), dated the 13th July, 2023.